कुरुक्षेत्र

ग्राम सेवक

सामुदायिक विकास-मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 'ग्राम सेवक' मासिक पत्र का हिन्दी संस्करण ग्रामवासियों के उपयोगार्थ निकाला गया है जिससे कि ग्राम-सुधार की विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनता को सामयिक सूचना और समाचार मिलते रहें। भाषा अति सरल और छपाई सुन्दर।

वार्षिक मूल्य १.२५ रुपये : एक प्रति १५ नये पैसे

बाल भारती

नन्हें मुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कविताएँ, उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ४.०० रुपये : एक प्रति ३५ नये पैसे

कुरुक्षेत्र

सचित्र मासिक पत्र जिसमें देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम-सम्बन्धी समाचार तथा लेख प्रकाशित होते हैं।

वार्षिक मूल्य २.५० रुपये : एक प्रति २५ नये पैसे

आकाशवाणी प्रसारिका

(सचित्र त्रैमासिक)

'आकाशवाणी प्रसारिका' (रेडियो संग्रह) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित उच्च कोटि की चुनी हुई वार्ताओं, कविताओं तथा कहानियों आदि का त्रैमासिक संग्रह है। गेट-अप सुन्दर।

वार्षिक मूल्य २.०० रुपये : एक प्रति ५० नये पैसे

आजकल

हिन्दी के इस सर्वप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूर्ण लेख, कविताएँ तथा कहानियाँ पढ़िए। साथ ही 'आजकल' में भारतीय कला व संस्कृति क अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ६.०० रुपये : एक प्रति ५० नये पैसे

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रटेरिएट, दिल्ली-८

कुरुक्षेत्र

सामुदायिक विकास मन्त्रालय का मासिक मुखपत्र

वर्ष २] जून १९५७ : ज्येष्ठ-आषाढ़ १८७९ [अंक ८

विषय-सूची

आवरण चित्र [कलाकार : ज्योतिष भट्टाचार्य]		
एक सुअवसर	...	२
बड़ा बनाम छोटा	जवाहरलाल नेहरू	३
चीन की सहकारी कृषि प्रणाली और भारत	...	५
उत्तर प्रदेश में समाज शिक्षा	ब्रजमोहन पाण्डे	७
अब मैं कितना खुश हूँ	प्रभाशंकर मेहता	१०
अनुसन्धान	विवेकरंजन भट्टाचार्य	१२
भारत में गुलाब की खेती	...	१४
चित्रावली	...	१५-१८
गोविन्दगढ़ विकास खण्ड की प्रगति	...	१९
एक भारतीय गाँव में चार वर्ष–२	बी० एल० चौधरी	२१
मसूरी सम्मेलन की सिफ़ारिशें–२	...	२४
मेरे श्रम ने [कविता]	रामेश्वरदयाल दुबे	२८
प्रगति के पथ पर	...	३१

सम्पादक :
केशवगोपाल निगम
[सहकारी सम्पादक, प्रकाशन विभाग]
उप-सम्पादक : *अशोक*

मुख्य कार्यालय
ओल्ड सेक्रेटेरिएट,
दिल्ली—८

वार्षिक चन्दा २.५० रुपये
एक प्रति का मूल्य २५ नये पैसे

विज्ञापन के लिए
बिज़नेस मैनेजर, पब्लिकेशन्स डिवीजन,
दिल्ली—८ को लिखें।

एक सुअवसर

भारतीय गाँव तेजी से बदलते जा रहे हैं। रोज़ ही कोई व्यक्ति शहर से आ कर जब गाँवों को देखता है तो उसका दिल खुश हो जाता है और उसके मन में यह विचार घर कर जाता है कि गाँव तेजी से बदल रहे हैं।

पर हमें अपने से पूछना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या वह काफी है? कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि हम महज़ इतना ही काम कर रहे हैं जिससे योजना-खण्डों से आर्थिक सहायता मिलती रहे। और कभी एक योजना इसलिए अपना ली जाती है कि ग्राम सेवक की इसमें विशेष रुचि है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति हमारे काम में विशेष रुचि दिखाता है और इस कारण गाँव में कई नई योजनाएँ चालू हो जाती हैं। पर हम कोई भी योजना तभी शुरू करते हैं जब बाहर से प्रेरणा मिले।

योजना आयोग ने हाल में एक जाँच रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके अनुसार हमारी यह आदत पड़ गई है कि किसी नए काम पर हम तभी जुटते हैं जब सरकार उसे शुरू करे। क्या इसका यह मतलब है कि हमने खुद पहल करना छोड़ दिया है? क्या इसका यह भी मतलब है कि सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों ने हमें एक ऐसी योजना नहीं दी, जिसमें सरकारी सहायता केवल पूरक ही हो? क्या इसका यह भी मतलब है कि इस कार्यक्रम के बिना न तो हम मिल कर काम कर सकते हैं और न मिल कर रह सकते हैं।

नहीं, यह सच नहीं हो सकता। अत्यन्त प्राचीन काल से ही हम अपनी आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी स्वायत्त शासी संस्थाएँ बनाते रहे हैं। साथ ही यह भी सच है कि जब से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है, हमें सरकार की तरफ़ से मदद और सलाह मिलती रही है। इससे एक लाभ यह हुआ है कि गाँववाले सामुदायिक जीवन के कई तरीके सीख गए। इनमें से एक तरीका है विनोबा जी का ग्रामदान आन्दोलन। सहकारी खेती की आजकल बहुत चर्चा है। ग्रामदान में मिले गाँवों में यह सफलतापूर्वक चल सकती है। ममूरी सम्मेलन ने आह्वान किया है कि हमारे कार्यकर्त्ताओं और भूदान कार्यकर्त्ताओं में निकट सम्पर्क होना चाहिए।

हमारे ग्राम सेवक इस महान कार्य के लिए पूर्णतः योग्य हैं। श्री जयप्रकाश नारायण के ये शब्द इस बात का प्रमाण हैं—"भारत के विभिन्न सामुदायिक विकास क्षेत्रों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा केन्द्रों में काम करने वाले अफ़सरों का दृष्टिकोण कुल मिला कर सरकारी नौकरों से अधिक व्यापक और उदार होता है। इसका कारण यह है कि उन्हें इस काम के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके काम करने का दृष्टिकोण भिन्न होता है। यद्यपि मैं सामुदायिक विकास योजना क्षेत्रों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा केन्द्रों में चलनेवाली योजनाओं और कार्य क्रमों के दृष्टिकोण और स्वरूप की आलोचना करने में नहीं हिचकूँगा, तथापि मैं उनके अधिकारियों की आलोचना नहीं करूँगा। सर्वोदय आन्दोलन और योजनाओं तथा सामुदायिक योजनाओं में बहुत अन्तर होने के बावजूद भूदान कार्यकर्त्ता इन अधिकारियों का सहयोग माँगेंगे और उसका स्वागत करेंगे।"

बड़ा बनाम छोटा

जवाहरलाल नेहरू

हमारा देश लोकतन्त्री है और हमें देश में सारी तरक्की लोकतन्त्री ढंग से करनी है। जैसी कि हमारे यहाँ परम्परा रही है, हमें ज्यादा विकेन्द्रीकरण करते हुए काम करना है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि विकेन्द्रीकरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, भले ही वह आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में। यह बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पर यह बात भी उतनी ही सच है कि दुनिया में सरकार हो, राजनीति हो, हुकूमत का ढाँचा हो, सब जगह केन्द्रीकरण की ओर झुकाव है, इसकी वजह यह है कि बड़ी-बड़ी इकाइयाँ बनती जा रही हैं। दुनिया के सामने आज एक अहम मसला यह है कि इस झुकाव को कैसे दूर किया जाए। हालतें हमें विकेन्द्रीकरण की ओर जाने को मजबूर करती हैं। दोनों में कैसे मेल बैठाया जाए? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। पर हमें वास्तविकताओं का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब सवाल यह है कि केन्द्रीकरण की जरूरत होते हुए भी किस तरह ज्यादा से ज्यादा विकेन्द्रीकरण किया जाए। मैं आपको इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं सुझा सकता कि तजुर्बा करो और देखो।

हम मेल बैठाने की चर्चा करते हैं। पर मेल किस बात का? मेल उस समय नहीं बैठाया जाता है जब कोई तबदीली ही न हो। मेल तो तब बैठाया जाता है जब हालतें लगातार बदल रहीं हों और आज जो मेल बैठाया गया है, कल कोई नई बात उसमें गड़बड़ पैदा कर दे। आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि पहले हम कभी इस तरह की बदलती हुई दुनिया में नहीं रहे, जहाँ हर-रोज़ नई-नई राजनीतिक, आर्थिक और दूसरी बातें पैदा होती रहें। मैं आपको एक बड़ी सीधी मिसाल दे सकता हूँ। एटम बम या एटम की शक्ति को ही लीजिए। कुछ समय तक इसके इस्तेमाल होने की उम्मीद नहीं, पर दरअसल इसने दुनिया को बहुत बदल दिया है। आप भी समझते हैं कि अणुशक्ति का खादी बोर्ड से कोई वास्ता नहीं। पर इसने सब किस्म के आर्थिक, राजनीतिक और दूसरे मसले खड़े कर दिए हैं। इसकी एक वजह यह है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार एक ऐसी चीज़ तैयार की गई है जो युगों में बनी हर चीज़ को पूरी तरह जड़ से नेस्तनाबूद कर सकती है। पहले भी हम पर आफतें आईं, पर हमारा इतिहास, संस्कृति और शक्ति बची रही। पर अब पहली बार एक ऐसी चीज़ हमारे हाथों में है, जिससे हम समूची संस्कृति और सारे इतिहास को मिटा सकते हैं। इस खतरनाक बात को हमें याद रखना चाहिए। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या आर्थिक या अन्य कोई, किसी को पता नहीं कि कब क्या हो जाए? हो सकता है कि हमारी सब योजनाएँ और जो कुछ हम करें, वह सब धरा का धरा ही रह जाए।

एटम बमों के बारे में हमें जो दूसरी बात याद रखनी है, वह है समय-समय पर होने वाले एटम बमों के विस्फोट के तजुर्बे और परीक्षण। अब तक तीन मुल्कों ने एटम बम बनाए हैं—अमेरिका, रूस और इंगलैंड। उम्मीद है कि कुछ समय में एक-दो और देश भी एटम बम तैयार कर लेंगे। अब यह किसी को भी ठीक-ठीक पता नहीं है कि इनका असर क्या होगा, बम फटने के एक-दम बाद होने वाला नहीं, पर वह असर जो वातावरण पर पड़ेगा, सैकड़ों हजारों मील के इलाके में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा। पर यह सबको पता है कि इनका असर बुरा होता है। इन तजुर्बों का नतीजा यह हो सकता है कि हवा में इस तरह ज़हर फैले कि इन्सान एक दम तो न मरे, बल्कि धीरे-धीरे कमज़ोर होता हुआ मर जाए। हो सकता है कि धीरे-धीरे सारी मानव जाति ही कमजोर हो जाए। बदकिस्मती से ये विस्फोट सैनिक मामलों से ताल्लुक रखते हैं और इनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं दी जाती और वैज्ञानिकों को भी इसके बारे में चुप्पी साधनी पड़ती है। मेरे विचार में यह एक अफसोसनाक बात है। अफसोसनाक बात इसलिए और भी ज्यादा है कि यह जानते हुए भी कि इन परीक्षणों से लगभग सारी मानव जाति को नुकसान पहुँच रहा है, सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि एक देश को दूसरे देश के आगे झुकना न पड़े। मैंने यह सब कुछ एटम बम और अणुशक्ति के बारे में कहा है, हालाँकि खादी बोर्ड के काम से इसका कोई सम्बन्ध नहीं।

एटम बम वैज्ञानिक और टेक्नोलौजिकल प्रगति का प्रतीक है और भी ऐसी बहुत-सी चीजें हैं जो टेकनोलौजिकल प्रगति की प्रतीक हैं और यह तरक्की इतनी तेजी से हो रही है कि उसे देख कर आदमी दंग रह जाता है। जो चीज आप आज बनाना शुरू करते हैं, वह बनने तक पुरानी पड़ जाती है। हम ऐसी ही दुनिया में रह रहे हैं। हम इन बातों को आँखों से ओझल नहीं कर सकते। हमें वह सब चीजें हासिल करने की ज़रूरत नहीं जो सबके

पास हैं, या हमें वह काम करने की ज़रूरत नहीं जो दूसरे मुल्क कर रहे हैं। यह बात बेमानी है। पर इस बात में कोई शक नहीं कि यदि एक देश केवल जिन्दा रहना चाहता है, तो उसे टेकनोलौजी में आगे बढ़ना होगा। आज हम पंचवर्षीय योजना और दूसरी बहुत सी बातों की चर्चा करते हैं, पर यदि आप गहरे में जाएँ, तो आप देखेंगे कि यह सब कुछ हम जिन्दा रहने के लिए कर रहे हैं। तरक्की और बेकारी — इन दो मसलों को सुलझाना जरूरी है। पर इस दुनिया में जिन्दा रहने के लिए हमें जद्दोजहद करनी होगी। लोग इस बात को महसूस नहीं करते। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि हम नष्ट हो जाएँगे। देश रह सकता है, पर सब से अहम सवाल है जिन्दा रहने का। इस बात को मद्दे-नज़र रखते हुए हमें खूब होशियार रहना पड़ेगा, जागते रहना पड़ेगा, अपनी कामयाबियों और नाकामयाबियों को तौलते रहना पड़ेगा कि हम किस तरह सबसे तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिन्दा रहने के इस जद्दोजहद में आर्थिक पहलू का बड़ा महत्व है। हमें न केवल जनता में सन्तोष का भाव पैदा करना है, बल्कि उससे इस तरह काम लेना है जिससे उसके रहन सहन का दर्जा ऊँचा उठ सके और कई दूसरी बातों में वह तरक्की कर सके।

आर्थिक नज़रिया

पांचसाला योजना और ऐसे दूसरे काम कम-ज्यादा आर्थिक नज़रिए से बनाए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, दूसरी योजना में खेती पर ज्यादा ज़ोर दिया है। यह बुनियादी चीज़ है। इसी के साथ दूसरी योजना में हमने भारी उद्योगों पर भी जोर दिया है क्योंकि हमें यकीन है कि जिन्दा रहने के लिए भारी उद्योग बहुत जरूरी हैं। बिना भारी उद्योगों के आगे चल कर हम जीवित नहीं रह सकते। आज दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि पहले जितनी तरक्की हम १०० साल में करते थे, उतनी अब दस साल में ही कर लेते हैं। अगर हमें जिन्दा रहना है तो अगले दस सालों में ही हमें अपने यहाँ भारी उद्योग खड़े कर लेने चाहिए। इसलिए यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी है कि हम हर समय एटम बम की बाबत ही न सोचते रहें।

हम एटम बम नहीं बनाएँगे। हम खुले आम इसका ऐलान कर देंगे। एशिया के और बहुत से देशों के मुकाबले, हमने इस देश में अणुशक्ति के बारे में ज्यादा तरक्की की है, अब भी हमारी तरक्की बराबर जारी है और देश के कई भागों में [illegible] खनिज पदार्थों के बारे में कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं। [illegible] [illegible] उद्योगों की चर्चा करता हूँ [illegible] मेरा मतलब एटम बमों से नहीं होता। भारी उद्योगों के बिना हमारी आज़ादी महफ़ूज़ नहीं रह सकती, हमें दूसरों का आश्रित होना पड़ेगा; और बहुत बुरी तरह आश्रित होना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि जब तक हमारे देश में भारी उद्योग न होंगे, हम अपने रहन-सहन का दर्जा भी ऊँचा न उठा सकेंगे। मेरी समझ से भारत में, और खास कर आज की हालत में, बड़े उद्योगों व मशीनों तथा छोटे व घरेलू उद्योगों में कोई बुनियादी झगड़ा नहीं है। हिन्दुस्तान में तो हर किस्म के उद्योगों के लिए बढ़ने का मौका है बशर्ते कि उनमें तालमेल हो। जाहिर है, हमें इनमें इस तरह का तालमेल बैठाना है कि दोनों एक दूसरे के मुकाबले में न आएँ।

नई ताकतें

मैं आज यह नहीं कह सकता कि २० साल बाद हिन्दुस्तान की तस्वीर कैसी होगी। कई नए आविष्कार हमारे सामने आएँगे। आप इन्हें नज़रअन्दाज़ नहीं कर सकते। यदि अणुशक्ति आ जाए तो हो सकता है, हम इसका उपयोग करें या न करें। मैं नहीं कह सकता कि २० साल बाद या ५० साल बाद क्या हालत होगी। मेरा तो ख्याल है कि इस बदलती हुई दुनिया में कोई भी यह नहीं कह सकता कि आगे चल कर क्या होगा। मुझे तो केवल आज या आगे के दो-चार दिनों की ही चिन्ता है। जहाँ तक हिन्दुस्तान का सवाल है, मुझे यह यकीन है कि हमें सब मोर्चों पर आगे बढ़ना है, न केवल भारी और हल्के उद्योगों के मोर्चे पर, बल्कि घरेलू छोटे और ग्रामोद्योगों के मोर्चे पर भी। सम्भव है कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के कुछ लोगों को हमारा बड़े और भारी उद्योगों पर जोर देना अच्छा न लगे। पर यह बात ठीक उसी तरह है कि जिस तरह बाहर के लोगों को आपके बोर्ड का काम पसन्द नहीं। वे आप के काम को पैसे और शक्ति की बरबादी ही समझते हैं। अगर मैं कहूँ तो दोनों तस्वीर का एक ही पहलू देखते हैं। दुनिया की इस रोज-ब-रोज बदलती हुई इन्कलाबी हालत में हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, सब दिशाओं में आगे बढ़ना चाहिए और तेज़ी से बढ़ने के लिए अपने कार्यक्रम में सुधार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कुछ हम करते हैं, उसका एक ध्येय होता है—जनता की भलाई करना। तकनीकों में तरक्की करके हम और ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं तथा उन्हें ऊँचा उठा सकते हैं। हमें नई-नई तकनीकों को अपनाना ही पड़ेगा। उसके बिना हम रह नहीं सकते। पर हमें अपनी योजना समझदारी से बनानी चाहिए, और उसमें हेर-फेर करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

हम खादी बोर्ड के काम को अहमियत देते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप यह समझें कि हम इस सवाल को एक सिद्धान्त मानते हुए नहीं, बल्कि इसके नतीजों को देखते हुए माली नतीजों को और सामाजिक नतीजों को देखते हुए अहमियत देते हैं आज हम और किसी चीज़ को आधार मान कर नहीं चल सकते।

[शेष पृष्ठ २७ पर]

चीन की सहकारी कृषि प्रणाली और भारत

[श्री आर० के० पाटील के नेतृत्व में भारत से ७ व्यक्तियों का जो शिष्टमण्डल चीन की सहकारी कृषि प्रणाली का अध्ययन करने वहाँ गया था, उसने लौटने के बाद अपने प्रतिवेदन में यह सिफ़ारिश की है कि भारत में भी सहकारी कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए। उसे संक्षेप से नीचे दिया गया है।]

जब जुलाई १९५६ में हम चीन पहुँचे, तब तक ९२ प्रतिशत चीनी किसान १० लाख कृषि-सहकार समितियाँ बना चुके थे और अब इन समितियों को प्रौढ़ करने का काम चल रहा था। ३० प्रतिशत से कुछ अधिक किसान प्रारम्भिक सहकार-समितियों के और ६२ प्रतिशत उन्नत प्रकार की समितियों के सदस्य थे। दोनों में फर्क यह है कि प्रारम्भिक समितियों में किसानों का जमीन पर स्वामित्व कायम रहता है और उन्हें अपनी मेहनत और स्वामित्व, दोनों का लाभ मिलता है। उन्नत समिति में किसानों का जमीनों पर अलग मालिकाना नहीं रहता, बल्कि सारी जमीन समिति के अधीन आ जाती है और किसानों को केवल उनकी मेहनत का पुरस्कार मिलता है। शिष्टमण्डल ने जिन १९ सहकारों का काम देखा, उनमें से १८ में उपज बढ़ गई थी।

शिष्टमण्डल के सदस्यगण

श्री आर० के० पाटील (नेता)
श्री देवकान्ति बरुआ
श्री एच० वी० त्रिपाठी
श्री हर्षदेव मालवीय
श्री वी० जे० पटेल
श्री एफ० एन० राणा
श्री एस० पी० भार्गव (सदस्य सचिव)

चीन में सफलता के कारण

चीन में सहकार प्रणाली इस कारण सफल हो सकी है कि लोगों ने खुद इसके लिए प्रयत्न किया और सरकार तथा कम्यूनिस्ट पार्टी ने भी इसमें अपनी पूरी ताकत लगाई। काम में ढिलाई न हो, इसके लिए काम का नार्म या लक्ष्य स्थिर कर दिया जाता है। यह लक्ष्य औसत कर्मचारी के औसत काम के आधार पर निश्चित किया जाता है। हर कर्मचारी को हर रोज के काम पर नम्बर दिए जाते हैं और १० नम्बर बनने पर एक दिन का काम गिना जाता है।

अधिकांश नेता चालीस से कम उम्र के युवक और युवतियाँ हैं। स्त्रियाँ इस काम में कितनी रुचि लेती हैं, इसी से स्पष्ट है कि हर सहकार-समिति की प्रधान या उपप्रधान स्त्री है। प्रबन्ध समिति के सदस्य चुने जाते हैं। इससे सहकारी समितियों का लोकतन्त्री रूप कायम रहता है। पदाधिकारियों को भी अपने हिस्से का कार्य करना पड़ता है।

वार्षिक योजना के अलावा हर सहकार-समिति ३ से ५ साल तक की लम्बी योजना भी बनाती है। बुवाई से पहले ही सरकार फसल की कीमतें घोषित कर देती है। इससे कृषि सहकारियों को अपनी खेती का कार्यक्रम बनाने में सुविधा होती है। सहकार-समितियों को सरकार यथेष्ट ऋण देती है।

बड़े किसानों की समाप्ति

भूमि सुधारों के कारण चीन में बड़े किसान नहीं रहे हैं। चीन में भूमि सुधार करने में बल प्रयोग या हिंसा भी हुई।

जमीन के बटवारे के पहले चीन भर में खुली सभाओं में जमींदारों और अमीर किसानों पर इलजाम लगाए गए। हमारी न्याय-प्रणाली दूसरी तरह की है, इसलिए हमें चीन का यह तरीका अनुचित लगा। इस प्रकार खुली सभाओं में इलजाम लगा कर दण्ड देने से निश्चय ही जमींदार वर्ग में आंतक फैल गया होगा।

चीन के ज्यादातर किसान अपनी इच्छा से सहकारी समितियों में शामिल हुए हैं। सहकार सम्बन्धी नियमों में इसकी स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि जो किसान सहकारी समितियों में शरीक नहीं हैं, उन पर कोई जबर्दस्ती न की जाए।

जापान में सहकारी व्यवस्था

जापान की सहकारी व्यवस्था के सम्बन्ध में शिष्टमण्डल ने कहा है कि वहाँ बिक्री, बीज, ऋण आदि खेती की सुविधा की बड़ी अच्छी सहकारी व्यवस्था है। ९५ प्रतिशत से भी अधिक किसान इस प्रकार की सुविधाकारी सहकार समितियों के सदस्य हैं। जापान में खेती की सहकारी समितियाँ नहीं हैं। जापान में व्यक्तिगत उद्यम की प्रतिष्ठा है। जापान कृषि की समाजवादी व्यवस्था के पक्ष में नहीं है, इसलिए वहाँ कृषि सहकार समितियों के लिए कोई चेष्टा नहीं है।

भारत की आर्थिक स्थिति सहकारी व्यवस्था के अनुकूल

यह निर्विवाद है कि भारत में कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग-धन्धों के विकास के बावजूद उसके सम्पन्न होने तक कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या कई लाख और बढ़ जाएगी। जमीन पर बहुत अधिक भार के साथ-साथ विषमता भी है। किसी के पास जमीन बहुत कम है और किसी के पास अधिक है। खेत-मज़दूर-जाँच के आंकड़ों से पता चलता है कि ५ प्रतिशत से भी कम लोगों के हाथ में खेती की जमीन का एक-तिहाई से भी ज्यादा भाग है। अनुमान है कि खेतिहरों की संख्या का करीब ४० प्रतिशत भाग (यानी गाँवों की जनसंख्या का करीब ३० प्रतिशत) खेतिहर मज़दूरों का काम करता है, और यह काम भी उसे पूरे साल नहीं मिलता।

जिन देशों में जमीन की बहुतायत है, वहाँ पारिवारिक या निजी खेती का तरीका ठीक है। लेकिन भारत में जमीन और पूंजी, दोनों की कमी है और काम करनेवाले बहुत हैं। लोग बेकार या अर्ध बेकार रहते हैं, इसलिए यहाँ बहुत-सी श्रम शक्ति व्यर्थ जाती है। इसलिए, हमें अधिक-से-अधिक लोगों को खेती के काम में लगा कर भरपूर खेती से उपज बढ़ाना है। सहकारी खेती से धन का सार्थक उपयोग हो सकेगा, लागत में कमी होगी, बचत अधिक होगी और लगाने के लिए पूंजी जमा हो सकेगी।

अगले चार वर्षों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाना उचित होगा। लोगों को सहकारी कृषि प्रणाली से परिचित कराने के लिए अगले चार वर्षों में, हर ५० गाँवों के पीछे कम से कम एक सहकार-समिति बनाने का कार्यक्रम बनाया जाए, यानी करीब-करीब १०,००० समितियाँ बनाई जाएँ।

इसका पूरा ध्यान रहे कि किसी को भी दबाया न जाए, लोग स्वेच्छा से सहकारी समिति में आएँ, साथ ही जो व्यक्ति सहकार समिति को छोड़ना चाहें, उसे फसल के अन्त में उसे छोड़ने की अनुमति देनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य के रोजाना काम को मापने में काम की अच्छाई और परिमाण, दोनों ध्यान में रखना चाहिए और काम को परखने का ढंग पक्षपात रहित होना चाहिए। हर सदस्य को उसके काम के अनुसार फसल के अन्त में उपज का हिस्सा मिलना चाहिए।

सहकार-कृषि समितियों में साझेदारी होनी चाहिए और राष्ट्रीय सहकार विकास तथा भण्डार बोर्ड से उन्हें वही सहायता मिलनी चाहिए जो बड़ी ऋण और बिक्री समितियों आदि को मिलती है। कुछ राज्यों में, सहकार कृषि समितियों की आमदनी पर कृषि आयकर लगता है। सरकारी खरीद से और दामों की गारण्टी मिलने से चीन की कृषि सहकार समितियों और जापान की सुविधाकारी सहकार समितियों को बड़ी मदद मिली है। सरकार को सहकारी खेतों की पैदावार को खरीद लेना चाहिए और खरीद के न्यूनतम भाव पहले ही बता देने चाहिएँ। सहकारी खेती की प्रणाली को चलाने का काम, राष्ट्रीय सहकार विकास तथा भण्डार मण्डल को सौंपा जाए। अगले चार सालों में ४ लाख युवकों को सहकारी खेती के संगठन और काम की शिक्षा दी जाए।

चीनी पद्धति भारत के लिए अनुचित

शिष्टमडण्ल के दो सदस्यों ने प्रतिवेदन से अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा कि बहुमत ने, चीन में जो कुछ हुआ है, उसकी ओर अधिक ध्यान दिया है और जापानी सहकार संस्थाओं की सफलताओं की उपेक्षा की है। इनका यह भी मत है कि सहकारी खेती की जो तस्वीर उन्होंने देखी, उससे वह बिलकुल भिन्न है, जो शिष्टमण्डल के अन्य सदस्यों ने सामने रखी है। उनका विचार है कि चीन की भूमि-सुधार की नीति और सहकारी खेती वहाँ के किसानों को मज़दूर बना देगी। भूमि-सुधार के नाम पर वहाँ छोटे जमींदारों और सम्पन्न किसानों की जो सामूहिक हिंसा हुई है, उसे आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। चीन में सामूहिक और सहकारी खेती स्वेच्छा से नहीं, बल्कि बड़े दबाव और हिंसा के बाद शुरू हुई है।

चीनी सहकार समितियों का ढाँचा न तो लोकतन्त्री है और न इनमें लोग स्वेच्छा से काम करते हैं। कार्यकारिणी समिति और पदाधिकारियों का चुनाव भी लोकतन्त्री नहीं है, क्योंकि वही लोग चुने जा सकते हैं, जिनका नाम कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पेश किया जाता है। पदाधिकारियों का काम करने का ढंग ऐसा है, जिससे ये लोग कुछ दिनों बाद केवल निरीक्षक अफसर बन जाएँगे और खेती के वास्तविक काम से इनका कोई सम्बन्ध नहीं रह जाएगा। इन सदस्यों का कहना है कि जापान का तरीका, जहाँ खेती तो निजी रूप से होती है और सहकारी समितियाँ बिक्री, ऋण आदि का प्रबन्ध करती हैं तथा सरकार भी यथेष्ट सहायता करती है, चीन से कहीं अच्छा है। सच तो यह है कि निजी खेती से ही उपज बढ़ सकती है।

★

उत्तर प्रदेश में समाज शिक्षा

ब्रजमोहन पाण्डे

'समाज शिक्षा' शब्द की उत्पत्ति बिलकुल भारतीय है। कुछ ही वर्षों पूर्व इस शब्द ने जन्म लिया। वास्तव में इसके जन्म का श्रेय उन योजनाओं को है जो समय-समय पर प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत चलाई गई। प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन को भी विशेष प्रोत्साहन १९३७-३८ में मिला जब कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ थी। उस समय इसका कार्यक्षेत्र सीमित था और इस दिशा में होनेवाले प्रयत्न किसी व्यापक सामाजिक मन्तव्य से अनुप्राणित नहीं थे। बढ़ती हुई सामाजिक चेतना के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा के पीछे निहित विचारधारा एवं कार्यक्षेत्र तथा कार्य प्रणाली में भी व्यापकता लाने की आवश्यकता प्रतीत हुई।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यह प्रतीत होने लगा कि यदि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को समझाया जाए कि उसका उत्तरदायित्व न केवल अपने प्रति क्या है बल्कि अपने परिवार के प्रति, अपने निकट पड़ौसी के प्रति तथा अपने सुदूर पड़ौसी के प्रति क्या है।

सन् १९३७ तथा १९४७ के दस वर्षों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्त्ताओं ने अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव की ताकि उस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे विषयों का भी समावेश किया जाए जिनका प्रौढ़ों के दैनिक जीवन की समस्याओं से गहरा सम्बन्ध हो।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जब सामाजिक चेतना को जागृत करने की आवश्यकता हुई तो प्रौढ़ शिक्षा शब्द को समाज शिक्षा में परिवर्तित किया गया क्योंकि यह भान हुआ कि केवल साक्षरता के द्वारा ही हम देश के बृहत जन-समुदाय में वे आवश्यक गुण नहीं पैदा कर सकते जो कि लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली के संचालन और सफलता के लिए अनिवार्य हैं।

इस दृष्टिकोण के कारण समाज शिक्षा का उद्देश्य यह है कि नागरिक के व्यक्तित्व के जो बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक, आर्थिक और सामाजिक इत्यादि भिन्न-भिन्न अंग हैं, उनमें सामंजस्य पैदा हो, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति और समाज में भी ऐसा कल्याणकारी समन्वय स्थापित हो सके ताकि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की समष्टि भावना का प्रादुर्भाव हो। बदलता हुआ समाज, नई-नई परिस्थितियाँ पैदा करता है। उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और नई स्थितियों में समन्वय लाना परम आवश्यक है। व्यापक रूप में ऐसा समन्वय समाज शिक्षा द्वारा सम्भव हो सकता है। समाज शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति और समाज के विभिन्न पहलुओं की आवश्यकता-पूर्ति होती है।

जब देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना का श्रीगणेश हुआ तो सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में समाज शिक्षा को उचित स्थान दिया गया। समाज शिक्षा का कार्यक्रम एक जागरूक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है; परन्तु यह आवश्यक है कि उसका सामंजस्य गाँव की समस्याओं से तथा वहाँ रहनेवालों की आवश्यकताओं से हो। गाँव का रहनेवाला, जिसका एक अपना जीवन-दर्शन होता है, उसे केवल सिद्धान्तों की कोरी विवेचना से सन्तोष नहीं हो सकता। उसे तो प्रत्येक पग पर यह आभास होना चाहिए कि वे सिद्धान्त उसके जीवन से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण में सहायक होंगे। अतः समाज शिक्षा के सारे कार्यक्रम का उपयोगी और रुचिकर होना अनिवार्य है।

मोटे तौर पर समाज शिक्षा के कार्यक्रम के पाँच मुख्य अंग हैं। पहला साक्षरता, दूसरा जन स्वास्थ्य के नियमों का सम्यक ज्ञान, तीसरा शिक्षा से व्यक्ति की अपनी निजी आर्थिक स्थिति को सुधारने की अधिकाधिक क्षमता, चौथा नागरिकता की भावना तथा अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों का ज्ञान, पाँचवा स्वस्थ मनोरंजन के अनेकानेक साधन जो व्यक्ति व समाज की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुकूल हों। वास्तव में यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि समाज शिक्षा का ध्येय प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक और क्रियाशील नागरिक बना कर तदनुकूल एक प्रगतिशील, मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत, सुन्दर और संगठित समाज व्यवस्था की रचना करनी है।

योजना आयोग ने समाज शिक्षा को सामुदायिक विकास खण्डों व राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों का अभिन्न अंग माना है। अतएव समाज शिक्षा के कार्य में रत कार्यकर्त्ता को यह न भूलना चाहिए कि वह एक साथ काम करने वाली टीम का एक सदस्य है और समाज शिक्षा केवल साधन है, साध्य नहीं। यह तो गाँव के जन समुदाय के विकास का साधन, एक यन्त्र है जो अन्य विभागीय कार्यकर्त्ताओं के लिए भी रास्ता बनाता है।

इन उद्देश्यों, विचारधाराओं व कार्यक्रमों को ले कर समाज-शिक्षा का कार्यक्रम अनेक विकास खण्डों में प्रारम्भ किया गया।

योजना के किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए समाज शिक्षा को ही माध्यम बनाना पड़ता है, इसी की सहायता से योजना के कर्मचारी—ग्राम सेवक, समाज शिक्षा संयोजक

शिक्षा प्रसार के लिए रेडियो का भी व्यापक उपयोग होने लगा है

के कार्यकर्त्ताओं आदि को कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसका व्यापक प्रचार करना पड़ता है। आर्थिक समृद्धि के साथ नैतिक स्तर के क्षेत्र में की गई उन्नति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जिसका परिचय हमें व्यापक जन जागरण और स्वावलम्बन की भावना के विकास में मिलता है। यथार्थ बात तो यह है कि नैतिक विकास के आधार पर ही सारी भौतिक उन्नति सम्भव हो सकी है और होती जा रही है।

उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विकास खण्ड में एक सहायक विकास अधिकारी (समाज शिक्षा) नियुक्त है जो अपने सहयोगियों से मिल कर समाज शिक्षा के कार्यक्रम को संचालित करता है। हमारे सघन विकास क्षेत्रों में एक पुरुष तथा एक महिला समाज शिक्षा अधिकारी है ताकि कार्यक्रम केवल पुरुष वर्ग में ही नहीं, स्त्री समाज में भी सुचारु रूप से चले।

पर कोई भी विकास का कार्यक्रम कब तक सफल रूप से नहीं चल सकता जब तक जनता का सहयोग प्राप्त न हो। अतः सदैव यह प्रयास किया गया कि लोगों का ऐच्छिक सहयोग प्रत्येक कार्य के लिए मिल सके।

जनता के सहयोग के आधार पर ही विकास खण्डों में कार्यक्रम का संचालन होता है। मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं—

प्रौढ़ शिक्षा—प्रौढ़ शिक्षा के साथ-साथ समाज शिक्षा का व्यापक कार्यक्रम चलता रहता है। प्रौढ़ कक्षा में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति अनेक विषयों पर चर्चा करते हैं। एक दूसरे के अनुभव से लाभ उठाते हैं। इसके द्वारा जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले सभी विषयों का ज्ञान होता है।

प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा भी है जिसके द्वारा प्रौढ़ सफ़ाई, स्वस्थ रहने के साधारण नियम तथा साधारण बीमारियों की रोक-थाम से परिचय प्राप्त कर लेता है।

नागरिकता की शिक्षा भी प्रौढ़ शिक्षा का अंग है। इसके द्वारा वह केवल अपने ही नहीं, बल्कि समाज को भी बड़ा परिवार समझता है—सहयोग, सहायता और एकता का पाठ पढ़ता है।

जीवन दो तत्वों से बना है, एक प्रकृति और दूसरा संस्कृति। जहाँ तक प्रकृति का सम्बन्ध है, आदमी और जानवर में कोई अन्तर नहीं है—दोनों को भूख, निद्रा और काम सताते हैं। केवल संस्कृति ही है जो मनुष्य को जानवर के ऊपर उठाती है। मनुष्य अपनी प्रसन्नता को कई रूप में प्रगट करता है। इसके अन्दर संगीत, साहित्य और कला, सभी आ जाते हैं जिसे हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं। भजन, कीर्तन, गीत, नृत्य, अभिनय, छाया-चित्र, मेला, उत्सव, त्योहार तथा प्रदर्शनी इसके मुख्य अंग हैं और आदिकाल से समाज शिक्षा के यह अमूल्य साधन रहे हैं।

वाचनालय, पुस्तकालय तथा सामाजिक केन्द्रों की स्थापना का कार्यक्रम भी इसी के अन्तर्गत है।

ग्राम नेताओं के प्रशिक्षण का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। इस प्रशिक्षण के अन्तगत खती, पशुपालन, जनस्वास्थ्य, सहकारिता, ग्रामोद्योग तथा समाज सेवा. सभी बातों का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे गाँवों के लिए योग्य कार्यकर्त्ता और नागरिक तैयार होते हैं।

महिलाओं के लिए कार्यक्रम—महिलाओं के लिए घरेलू-उद्योग, बच्चों का लालन-पालन, स्थानीय पैदावार के आधार पर पौष्टिक भोजन का ज्ञान, सजावट, तथा सामाजिक त्यौहार और उत्सव के आयोजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वस्थ और सुखी कौटुम्बिक रचना का उद्देश्य रख कर कार्य चल रहा है। इसके द्वारा स्त्रियों में सामाजिकता का विकास तथा उनको अपने क्षेत्र का विशेष ध्यान रहने लगा है।

[शेष पृष्ठ ३० पर]

अभिनय, नाटक आदि में जनता की रुचि बराबर बढ़ती जा रही है

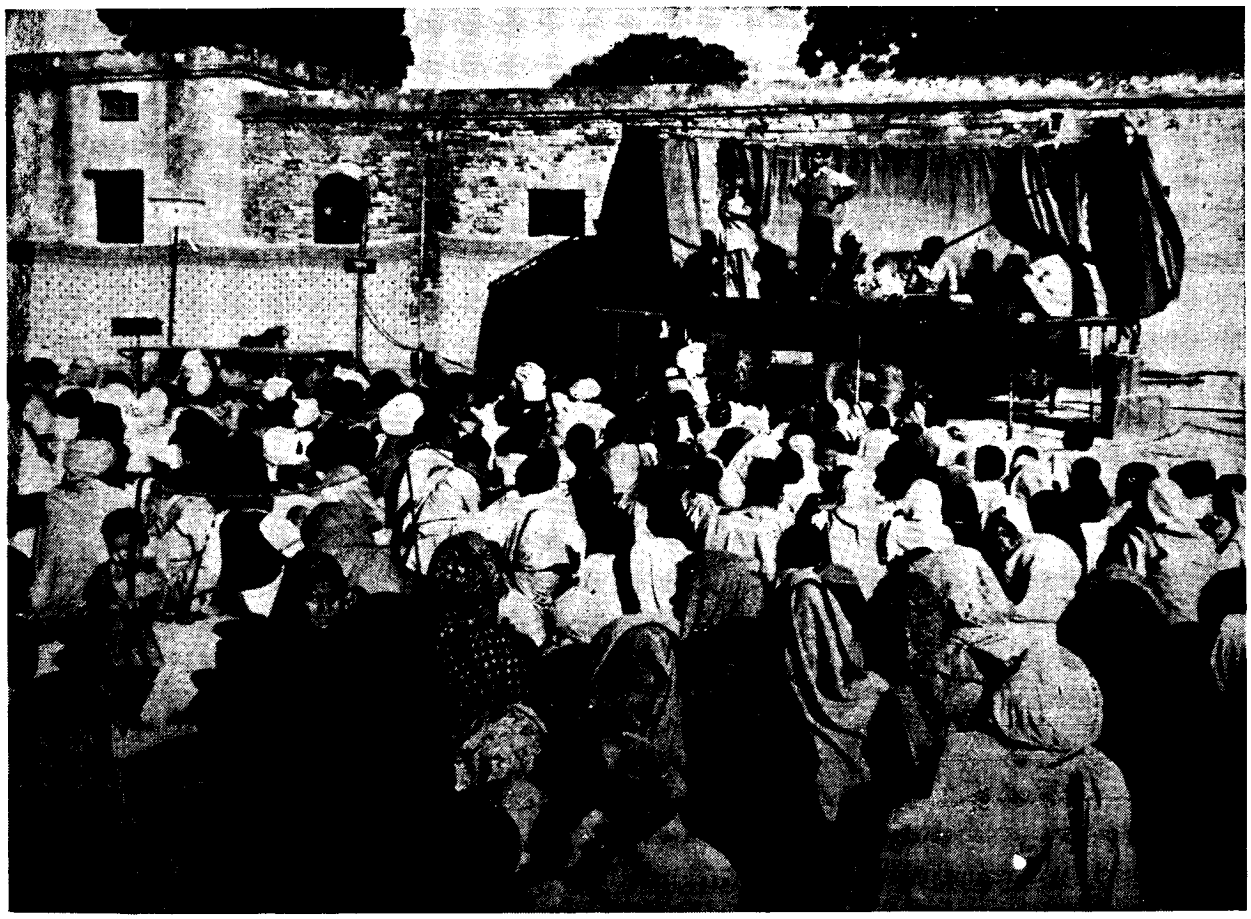

अब मैं कितना खुश हूँ

प्रभाशंकर मेहता

बी० ए० का परिणाम निकला और मैं अच्छे नम्बरों से पास हुआ। बहुत से लोग बधाई देने आए। सारा दिन खाते-खिलाते हँसी-खुशी बीत गया। शाम को पिताजी के एक मित्र कपूर साहब भी आए, जो एक सरकारी दफ्तर में सुपरिंटेंडेंट थे। उन्होंने बातचीत के दौरान में पिता जी से कहा—"अब रमेश बी० ए० हो गया है। इसके भविष्य के बारे में आप क्या सोच रहे हैं?"

"सोच क्या रहा हूँ, यह खुद समझदार है, इसीसे पूछ लीजिए कि अब आगे क्या करना चाहता है?" पिताजी बोले।

कपूर साहब मेरी तरफ मुड़ कर बोले—"क्यों रमेश, तुम बी० ए० पास तो हो गए। अब क्या इरादा है? चाहो तो मेरे दफ्तर में अर्जी दे दो, कुछ क्लर्कों की जगहें खाली हैं। मैं कोशिश करके लगा दूँगा।'

इस सम्बन्ध में मेरे कुछ और ही विचार थे। मैं कुछ देर सोचता रहा, क्या जवाब दूँ? लेकिन फिर मन की बात निकल ही तो गई—"मैं क्लर्की नहीं करूँगा। मैं तो कोई ऐसा काम करूँगा, जिसमें मेरा मन लगे।"

"क्या क्लर्की बुरी है? आजकल क्लर्क की एक जगह के लिए पचासों बी० ए० और एम० ए० पास लोगों की अर्जियाँ आती हैं और बड़ी मुश्किल से नौकरी मिल पाती है; और तुम कहते हो कि क्लर्की नहीं करूँगा। क्लर्क से ही बढ़ कर लोग धीरे-धीरे ऊँचे ओहदों पर पहुँच जाते हैं।"

मैं कुछ न बोला। उन्हें कैसे समझाता कि मेरे मन में क्या है।

कपूर साहब मुझे चुप देख कर फिर बोले—"रमेश! तुम्हें तो खुश होना चाहिये कि बी० ए० पास करके जल्दी ही तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। बहुतों को तो बरसों भटकना पड़ता है। रही आगे तरक्की की बात, सो देखो, मैंने मैट्रिक पास करने के बाद ३५ रुपए की क्लर्की से काम शुरू किया था और आज २४ साल में बढ़ते-बढ़ते ५०० रुपयों पर पहुँच गया हूँ। दफ्तरों में ज्यादा लोग क्लर्क से ही बढ़ कर ऊँचे पदों पर पहुँचते हैं। कल तुम मुझे अपनी अर्जी दे देना ताकि मैं चुनाव के लिए उसे शामिल कर सकूँ।"

पिताजी ने भी कहा—'हाँ बेटा, कपूर साहब की मदद से तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तुम भी धीरे-धीरे बढ़ कर इन्हीं की तरह अफसर बन जाओगे।'

"मैं तो अपना कार्यक्रम बना चुका हूँ। क्लर्की मुझसे नहीं होगी। दिन भर फाइलों में डूबा रहूँ, अफसरों की डाँट-फटकार सुनता रहूँ ···नहीं मैं अपनी यह दुर्दशा नहीं होने दूँगा। मुझे ऐसी अफसरी नहीं चाहिए।"

पिताजी मेरे स्वभाव और रुचि को जानते थे। मेरी बात सुन कर बोले—"देखो रमेश, अगर तुम क्लर्की नहीं करना चाहते तो मैं उसके लिए जोर नहीं दूँगा। तुम अब पढ़-लिख कर इतने समझदार हो गए हो कि अपना भला-बुरा समझ सकते हो। इस बात पर तुम खूब अच्छी तरह सोच-विचार कर लो और फिर जो उचित समझो, करो। हाँ, यह ध्यान रखना कि जो भी करो, इज्जत का काम हो और उससे हमारे परिवार या कुल के नाम पर आँच न आए।'

पिताजी की बात से मुझे बहुत राहत मिली और मैंने उन्हें उसी समय आश्वासन दिया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो अनुचित हो या हीन हो।

चलते समय कपूर साहब फिर कहते गए कि इधर-उधर के चक्कर में पड़े बिना मुझे उनके दफ्तर में ही क्लर्की के लिए अर्जी दे देनी चाहिए।

मैंने कहा—"मैं सोच कर जवाब दूँगा।'

कालेज में, अर्थशास्त्र में मैंने पढ़ा था कि भारत कृषि-प्रधान देश है। यहाँ की ८२.५ प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है। लेकिन इतने पर भी हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। खेती के तरीके अब भी वही हैं, जो सौ साल पहले थे। ज्यादा-तर लोग अनपढ़ हैं और दुनियाँ में होनेवाली उन्नति से बिलकुल अपरिचित हैं। गरीबी इतनी है कि बहुतों को तो दो जून भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता। यह देश कभी दूसरे देशों को अन्न भेजता था, लेकिन अब खुद लाखों रुपए का अनाज बाहर से मंगाता है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से सरकार ने यद्यपि गाँव-वालों की दशा सुधारने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है कि जल्दी ही पूरा हो जाए।

और सरकार इस काम को तभी सफलतापूर्वक पूरा कर सकती है, जब उसे लोगों का पूरा सहयोग मिले। ठीक भी है, जन-सहयोग के बिना दुनिया की कोई भी सरकार इतना बड़ा काम अकेले पूरा नहीं कर सकती।

मैंने उस समय मन ही मन यह संकल्प कर लिया था कि मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद जन सेवा और देश सेवा के कार्य में लगूँगा। मुझे यह बात बहुत खटकती थी कि हमारा देश दूसरे

देशों से पिछड़ा हुआ क्यों है ? मैं यह भी अनुभव कर रहा था कि इस समय देश को आवश्यकता इस बात की है कि युवक और युवतियाँ पूरे उत्साह से गाँव-गाँव में जाएँ और वहाँ वे लोगों को नया सन्देश दें. उनमें उत्साह भरें और समय के साथ कदम से कदम मिला कर चलने की प्रेरणा दें।

मेरे मन में एक बेचैनी थी, देश को आगे बढ़ने में मदद देने की लालसा थी और यह चाह थी कि देश जल्दी से जल्दी आत्म-निर्भर हो तथा गरीबी और अज्ञान का अन्धकार दूर हो।

मेरे मन का यही संकल्प मुझे क्लर्की या और किसी ऐसी ही नौकरी के खिलाफ बनाए हुए था। मैं सोचता था कि स्वतन्त्र देश के नागरिक के नाते मैं अपने को देश के लिए उपयोगी बनाऊँ।

उस दिन कपूर साहब के जाने के बाद रात भर मैं सो न पाया और अपना आगे का कार्यक्रम बनाता रहा। मैंने अखबारों में पढ़ा था कि सरकार ने देश के विभिन्न भागों में सामुदायिक विकास योजना चलाई है, जिसका उद्देश्य गाँव-गाँव में नए जीवन का संचार करना है। मुझे यह भी पता लगा कि सरकार को भारी संख्या में ऐसे युवकों और युवतियों की आवश्यकता है जो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँववालों को विकास के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दें और उनके साथ कन्धे से कन्धा मिला कर काम करें। उनमें स्फूर्ति और उत्साह भर दें।

बस, अन्धे को क्या चाहिए—दो आँखें। अगले दिन ही मैं अपने क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारी के पास जा पहुँचा। वह मेरे संकल्प से प्रभावित हुए और जरूरी बातें समझा कर ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र में भेज दिया।

प्रशिक्षण केन्द्र में पहुँच कर मुझे लगा कि मैं जैसे एक नई दुनिया में आ गया हूँ। मुझे वहाँ कई तरफ से आए हुए युवक मिले। सब में उत्साह था, उमंग थी और रचनात्मक कार्य करने का चाव था। हमारे शिक्षक भी बड़ी लगनवाले थे। उन्होंने बड़े रोचक ढंग से हमें गाँवों की समस्याओं के बारे में समझाया, सुधार के तरीके बताए और यह भी कि हमें गाँवों में जा कर वहाँ के लोगों में इतना हिलमिल जाना है कि वे हमें अपना ही समझें। खेती के तरीके कैसे सुधारने होंगे, सफाई की क्या व्यवस्था करनी होगी, शिक्षा के लिए क्या करना होगा, लोगों को खाली समय में घरेलू उद्योगों में कैसे लगाना होगा और सबसे बढ़ कर यह कि उन्हें अपने उत्थान के लिए खुद परिश्रम करने के लिए कैसे प्रेरित करना होगा—ये सब बातें हमारे अध्यापकों ने हमें समझाईं और...वह दिन भी आगया जब हमें अपने-अपने निश्चित इलाके में जाना था।

मुझे उत्तर प्रदेश के एक विकास खण्ड के पाँच गाँवों में काम करने के लिए भेजा गया। वह दिन मेरे जीवन में कितना महत्वपूर्ण था। मैं फूला नहीं समा रहा था। खुशी की बात ही थी; मैं अपने कार्यक्षेत्र में उतर रहा था। मुझे अपने पर पूरा भरोसा था और मन में उत्साह भी था। जिस तरह के काम के लिए मैं इतने दिनों से उत्सुक था, वही मुझे मिल गया। मैंने मन ही मन सारी योजना बना ली कि किस तरह मैं अपने इन पाँच गाँवों में जा कर लोगों को अपना परिचय दूँगा, उनमें घुलमिल जाऊँगा, उनकी समस्याओं को समझूँगा, लोगों को सुझाव दूँगा, इधर-उधर समय गँवाने के बजाय खुद कुछ करने की प्रेरणा दूँगा, दुनिया की प्रगति के बारे में समझाऊँगा और इस तरह सुधार कार्य में रात-दिन एक कर दूँगा।

इन सब बातों को सोच कर खुद ही मेरे मन में विश्वास पैदा हो रहा था और उत्साह बढ़ रहा था।

और ··· खादी का कुरता धोती, पहने तथा हाथ में अपने कपड़ों की एक पोटली लिए मैं अपने इलाके में जा पहुँचा। हाँ, मेरा ही तो यह इलाका था, जहाँ मुझे काम करना था, घर-घर में नया सन्देश पहुँचाना था।

मैं गाँव के पंचों से मिला, किसानों से मिला, चमारों और कुम्हारों से मिला; यानी गाँव में हर तबके के लोगों से मिला। अगले ही दिन गाँव के बुजुर्गों और जवानों की एक सभा की और उसमें बड़े प्रभावशाली ढंग से लोगों का ध्यान उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की तरफ खींचा और कहा—"अगर आप यह आशा करते हैं कि कोई बाहर से आ कर आपकी इन जरूरतों को पूरा करेगा, तो आप बड़े भ्रम में हैं। यहाँ इतने जवान और तन्दुरुस्त लोग हैं, अगर दो-दो घण्टे भी सब लोग दें, तो आपका पंचायत-घर अच्छा बन सकता है, गाँव को बड़ी सड़क से मिलाने वाली अच्छी सड़क बन सकती है, ये जो कुएँ कभी साफ नहीं हुए, उन्हें साफ किया जा सकता है; नालियाँ बना कर गाँव के बीच में भरा रहने वाला गन्दा पानी निकाला जा सकता है, बच्चों के खेलने के लिए साफ मैदान बनाया जा सकता है·····आदि आदि।"

मैं अपने जोश में कहता चला गया। मैं देख रहा था कि कुछ युवकों की आँखों में चमक पैदा हो रही है, उत्साह जग रहा है। यही मेरा उद्देश्य भी था। धीरे-धीरे इसी प्रकार सभाएँ करके और आपसी बातचीत में मैंने पाँचों गाँवों में विकास के कार्यक्रम तय कर लिए और उनके मुताबिक सभी जगह काम भी उत्साह से शुरू हो गया। लोगों के सामने जो मुश्किलें आतीं, उन्हें मैं दूर करने की कोशिश करता, खण्ड विकास कार्यालय से भी सामान और सलाह लेता रहता, खुद भी लोगों के साथ काम करता, बूढ़ों

[शेष पृष्ठ २८ पर]

अनुसन्धान

विवेकरंजन भट्टाचार्य

यदि किसी किताब से नकल की जाए तो वह साहित्यिक चोरी कहलाती है। यदि बहुत-सी किताबों से नकल की जाए तो उसे अनुसन्धान का नाम दिया जाता है। पाँच साल पहले मैं भी अनुसन्धान कर रहा था। आप यकीन मानिए, इस काम में मैंने दिन-रात एक कर दिए थे। किताबों का एक बड़ा पहाड़ मेरे सामने लगा रहता था। पर उसके नतीजे ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने जो कुछ निचोड़ निकाला, उसमें से मुश्किल से दो लाइनों का ही कोई मतलब था। अन्ततः एक दिन मेरे प्रोफेसर ने मुझे बुलाया और बड़े मुलायम शब्दों में कहा "यह काम तुम्हारे बस का नहीं, दरअसल तुम इस काम के लायक नहीं हो। इसलिए अच्छा हो कि यह काम छोड़ कर तुम और कोई काम अपनालो।"

और इसमें कोई शक नहीं कि उनके इन शब्दों से मुझे बड़ा धक्का लगा। लेकिन यहाँ किसका असर पड़ने वाला था? मैंने फैसला कर लिया कि डिग्री नहीं मिलती तो न सही, डिप्लोमा ही ले डालो, पर लो अनुसन्धान करके।

मैं ठहरा गुरू का आज्ञाकारी शिष्य, उनकी सलाह भला कैसे न मानता। इसलिए मैंने वह काम छोड़ दिया। दरअसल काम तो नहीं छोड़ा, काम करने का तरीका बदल दिया।

बेजान और नीरस किताबें पढ़ने की बजाय मैंने यह ज्यादा अच्छा समझा कि काम की जड़ तक पहुँचा जाए। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि यह देखने की बजाय कि किताबों में लोगों के बारे में क्या लिखा है, मैंने खुद लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने का फैसला किया।

मैंने एक प्रश्नावली बनाई। इसमें ५०० से कम सवाल नहीं थे। उसे ले कर मैं दिल्ली से कुरुक्षेत्र को रवाना हो गया। किताबों से नकल करने से पिण्ड छूटा। अब मेरा उद्देश्य यह था कि विस्थापितों से ही मिल कर उनको फिर से बसाने के सवाल का हल खोज निकाला जाए। यह एक व्यावहारिक अनुसन्धान होगा।

मैंने नीलोखेड़ी में अनुसन्धान करने का फैसला किया। नीलोखेड़ी कुरुक्षेत्र के नजदीक है और दिल्ली से ८० मील के फासले पर है। फिर कभी-कभी कुरुक्षेत्र में स्नान कर सकने की आशा से भी मेरा दिल उछलने लगा।

नीलोखेड़ी में मुझे काफी समय तक रहना पड़ा। इस बीच मुझे किस्म-किस्म के आदमियों से मिलने का मौका मिला। कई ऐसे मौके आए जो अपने ढंग के अकेले ही थे। पर एक मौका ऐसा आया जिसे मैं शायद उम्र भर न भूल सकूँ।

मैं अपनी प्रश्नावलियों को बगल में दबाए हुए एक घर से

दूसरे घर जाता रहता था। मेरे साथ वहीं का एक आदमी भी रहता था जो कुछ-कुछ शायर किस्म का था। वह मेरा मित्र था ही, साथ ही मेरे बंगाली होने के कारण वह मेरी बातें लोगों को समझाता और लोगों की बातें मुझे। नीलोखेड़ी में ज्यादातर मुलतान (पश्चिम पाकिस्तान) से आए हुए विस्थापित रहते हैं। उनमें से अधिकतर मध्यम वर्ग के किसान परिवार हैं।

भयंकर गर्मी होने के कारण मैं दिन में अपने कमरे में ही बन्द रहता था। शाम होते न होते मेरा कवि मित्र मेरे कमरे में आ जाता था और तब मैं दिन भर कमरे में बन्द रहने के बाद अपने मित्र के साथ अनुसन्धान करने चल देता।

अँधेरा होने वाला था पर सड़कों पर अभी बत्तियाँ नहीं जली थीं। छोकरे अभी खेल-कूद में मगन थे। शहर की तंग सड़कों पर काफी भीड़ थी। हम सीधे रेलवे स्टेशन की बस्ती की ओर बढ़ चले। अस्पताल पीछे रह गया।

मैं रास्ते में यह देखता गया कि सब घरों में औरतें दिया-बत्ती जला रही थीं। उसे देख कर बंगाल के देहाती इलाकों में सन्ध्या जलाने का दृश्य मेरी आँखों के सामने सजीव हो उठा।

बंगाल और पंजाब—दोनों एक दूसरे से कितने दूर हैं? ऊपर से देखने में दोनों में कितना फर्क लगता है। पर भाषा, रीति-रिवाजों और दूरी का अन्तर होने के बावजूद दोनों राज्यों के दैनिक जीवन में कितनी समानता है?

देहाती भारत को मैं नहीं के बराबर जानता था। मेरा परिचय अब शुरू ही हो रहा था और उसका शकुन तो दरअसल बहुत अच्छा हुआ था।

उस दृश्य को देख कर मैं मोहावस्था में पड़ा हुआ था। न तो मुझे समय का ध्यान था और न जगह का। मुझे यह भी पता न था कि मैं कहाँ खड़ा था। तब अचानक ही जसवन्त की आवाज सुन कर मेरी मोहावस्था भंग हुई। तब मैंने देखा कि मैं एक झोंपड़ी के सामने खड़ा हूँ। जसवन्त ने बताया कि आज हमें सबसे पहले यहीं पूछताछ करनी है। झोंपड़ी के सामने ही खूँटे से एक गाय बँधी हुई धीरे-धीरे चारा खा रही थी। दरवाजे के पास पानी से भरा हुआ मिट्टी का एक घड़ा था और उसके पास एक गिलास।

जसवन्त झोंपड़ी में घुस गया और थोड़ी देर बाद झोंपड़ी के मालिक के साथ वापिस आ गया। जसवन्त को नीलोखेड़ी के लोग इतना अधिक चाहते थे कि वह बेखटके सबके घर में चला जाता था। कस्बे के लोग उसे प्यार से 'गुरूप्यारा' कहते थे। उसने झोंपड़ी के मालिक श्री गोविन्द राम से मेरा परिचय कराया।

गोविन्द राम मुलतान जिले के एक गाँव का रहने वाला था। वह हमसे पंजाबी में बात कर रहा था, पर उसकी बोली पर मुलतानी का असर साफ दिखाई पड़ता था।

वह काफी हट्टा-कट्टा था। उसके चेहरे पर चमक थी। सिर पर एक बड़ा पग्गड़ रखा हुआ था। नीचे उसने केवल एक फटी हुई सलवार पहन रखी थी। गोविन्द राम ने मुझे नमस्ते की जो बहुत कुछ 'कोर्निश' जैसी थी। मैं चारपाई पर बैठ गया।

जान-पहचान होने के बाद मैंने अपने सवालों की बौछार शुरू की। मुझे इतने अधिक सवाल पूछते हुए खुद संकोच हो रहा था। अचानक ही गोविन्द राम ने पग उठाए और बाहर चला गया। उसके इस बरताव से मैं भौचक्का रह गया। मैं बेचैन होने लगा कि कहीं मेरे किसी सवाल से गोविन्द राम नाराज तो नहीं हो गया? मेरा मित्र जसवन्त मेरी बेचैनी को भाँप गया और कहने लगा—"चिन्ता मत करो, वह अभी आता है।"

कुछ मिनट बाद गोविन्दराम वापस आया। उसके हाथ में एक गिलास था जिसके ऊपर दूध की झाग नजर आ रही थी।

जसवन्त ने मेरे कान में चुपके-चुपके कहा—"बिना नुननच किए दूध पी लेना। इंकार न करना, नहीं तो वह बुरा मानेगा।"

मैंने जसवन्त की सलाह मान ली। गोविन्द राम ग्रामीण भारत का एक प्रतिनिधि है। उसके सरल स्नेह और मेहमान नवाजी से मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। काफी देर बाद मेरे सवालों का ताँता खत्म हुआ। मैं चलने ही वाला था कि इतने में गोविन्द राम ने धीमी आवाज में मुझ से पूछा—

"आप दिल्ली से आए हैं न?"

"हाँ", मैंने जवाब दिया।

"तब तो आप वहाँ अक्सर बादशाह से मिलते रहते होंगे?"

"बादशाह? कौन सा बादशाह?"

"हमारे मुखिया ने बताया है कि बादशाह दिल्ली में रहते हैं। क्या आप उनसे कभी नहीं मिले?"

"तोबा! बादशाह तो बहुत दिन हुए देश छोड़ कर चला गया। अब तो जैसे सरकार आप की है, वैसे मेरी। अब तो सरकार हमारी अपनी है। चुनें जिसे हम गद्दी पर बिठा दें।"

जसवन्त ने बीच में शिगूफा छोड़ते हुए कहा—"चाचा, आप चाहो तो हम आप के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। यदि पंचायत का फैसला आपके हक में हो गया तो दिल्ली की गद्दी के मालिक आप बन जाओगे।"

गोविन्द ने स्वर में तेजी लाते हुए कहा—"अपनी बकवास बन्द कर। तुझे क्या पता? अंग्रेज़ बादशाह चला गया है पर इसका मतलब यह तो नहीं कि गद्दी खाली पड़ी है। क्या आजकल नया बादशाह दिल्ली में नहीं रहता?"

"हाँ। हाँ। क्या आप को उन्हें कोई सन्देश भेजना है या कोई शिकायत करनी है? मैं उन तक पहुँचा दूँगा।"

मैंने अपनी बात अभी खतम भी नहीं की थी कि गोविन्द ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। उसकी आँखों में आँसू छलक आए

[शेष पृष्ठ २६ पर]

भारत में गुलाब की खेती

सर्वश्रेष्ठ गन्धवाले ईरानी गुलाब की खेती भारत में सबसे पहले १५२६ में बाबर के समय में शुरू हुई। एडवर्ड गुलाब की खेती उसके तीन सौ साल बाद शुरू हुई। गुलाब के सारीय तेल या इत्र का पता १६१२ में नूरजहाँ बेगम की माता सलीमा सुल्तान बेगम को घटनावश चला।

तीन शताब्दी तक गाजीपुर गुलाब के इत्र के व्यापार का मुख्य केन्द्र रहा। यह उद्योग अब अलीगढ़ जिले की हाथरस और सिकन्दराराऊ तहसीलों में केन्द्रित है और कन्नौज इस व्यापार का मुख्य केन्द्र बन गया है। गुलाबजल, सारीय तेल (रूह गुलाब) और गुलाब के अन्य गन्धसारों के लिए दमश्क और एडवर्ड गुलाबों की बहुतायत से खेती होती है।

व्यावसायिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के १,१३० एकड़ क्षेत्र में और मद्रास के ३१० एकड़ क्षेत्र में गुलाब की खेती होती है। इसके अलावा केवल सौन्दर्य की दृष्टि से मिश्रित जाति के अनेक प्रकार के गुलाब उगाए जाते हैं। देवघर, मधुपुर और मिहीजम (बिहार राज्य) में भी अनेक निजी बियाड़ों में गुलाब की विशेष रूप से खेती होती है। कलकत्ता, दार्जिलिंग, करस्याँग, कलिम्पोंग, गंगटोक और सिक्किम के गुलाब उद्यानों और बियाड़ों में अनेक प्रकार के गुलाब उगाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर गुलाब ऐसे हैं जिनमें वास्तविक दमश्क गुलाब की गन्ध होती है और सारीय तेल निकालने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है।

दमश्क गुलाब साल में ४० या ५५ दिन तक खिलता है। एडवर्ड गुलाब उत्तर प्रदेश में ८-१० महीने और मद्रास में सारे साल खिलता है। दमश्क गुलाब के खिलने का मौसम २० फरवरी के आसपास शुरू होता है। एडवर्ड गुलाब उत्तर प्रदेश में मार्च से अप्रैल तक और मद्रास में अक्टूबर से जनवरी तक बहुतायत से खिलता है।

सामान्यतः हाथरस और सिकन्दराराऊ तहसीलों में, जहाँ ७३२ एकड़ भूमि में गुलाब के १८,३०,००० पौधे लगे हुए हैं, ४० दिन के मौसम में लगभग ३६,६०,००० पौंड गुलाब पैदा होता है। उत्तर प्रदेश के अन्य केन्द्रों में होनेवाली गुलाब की फसल के बारे में ठीक जानकारी प्राप्त नहीं है, फिर भी यह अनुमान है कि मौसम के दिनों में उत्तर प्रदेश के गुलाब उद्यानों में ३८,००,००० पौंड दमश्क गुलाब होता है। एडवर्ड गुलाब की खेती ३७० एकड़ भूमि में होती है। यह गुलाब लगभग सारे साल खिलता है और उत्तर प्रदेश के उद्यानों में लगभग, १४,८०,००० पौंड फूल होता है।

दमश्क गुलाब का उपयोग अधिकतर गुलाबजल तैयार करने के लिए होता है। फसल का थोड़ा-सा भाग गुलाब का सारीय तेल तैयार करने के काम में लाया जाता है। इसके अलावा इत्र और गुलकन्द भी तैयार किया जाता है। एडवर्ड गुलाब का उपयोग गुलाब का अर्क निकालने और गुलकन्द, इत्र और बालों में लगाने का तेल बनाने के लिए होता है। गुलाब की ५,००० से भी अधिक किस्में होती हैं परन्तु सारीय तेल निकालने के लिए केवल एक दर्जन किस्मों का इस्तेमाल होता है।

भारत से प्रतिवर्ष औसतन १ करोड़ ६१ लाख रुपए का सारीय तेल बाहर भेजा जाता है और ६६ लाख रुपए का सारीय तेल बाहर से मंगाया जाता है।

श्रम ही जीवन है

कहावत प्रसिद्ध है—बेकार से बेगार भली। श्रम के बिना जीवन नीरस है। पसीने से कमाई हुई रोटी में जो मिठास है, वह अच्छी से अच्छी मिठाई में नहीं। पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिए भी सबसे अधिक जरूरी चीज़ है जन-सहयोग।

इस चित्र में देखिए श्रम करने के पश्चात् ये नवयुवक कितने प्रसन्न दिखाई देते हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा

जन-सम्पर्क

प्रशिक्षण

खेतों

मांड्या

श्रमदान

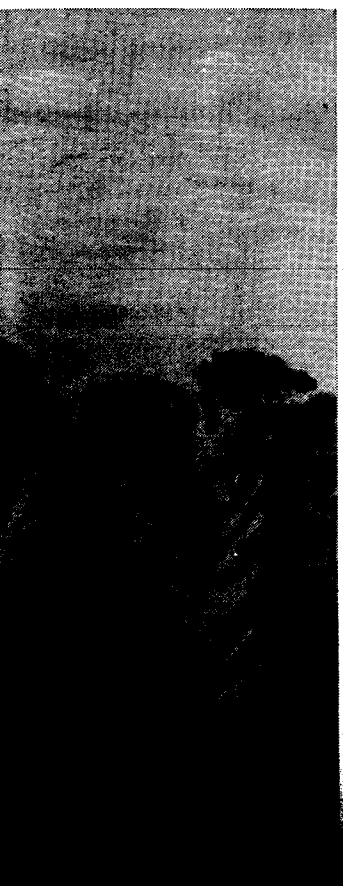

प्रार्थना

कल के नागरिक

बच्चे राष्ट्र की नींव होते हैं। वे ही कल के नागरिक होंगे। इसीलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने पर विशेष जोर दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले सभी गाँवों में बाल सभाएँ, शिशु-विहार आदि संगठित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रायः सभी गाँवों में बच्चों के पार्क बनाए जा चुके हैं।

इस चित्र में ग्राम सेविका बच्चों को एक खेल सिखा रही है।

गोविन्दगढ़ विकास खण्ड की प्रगति

२ अक्तूबर, १९५४ को इस विकास खण्ड का उद्घाटन हुआ था। इस विकास खण्ड के अन्तर्गत गोविन्दगढ़ की उपतहसील और लछमनगढ़ तहसील के १०० ग्राम आते हैं। इस खण्ड में १६२ ग्राम हैं जिन की जनसंख्या ६५,६३२ है। इसका कुल क्षेत्रफल २०७ वर्गमील है। इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ है। लछमनगढ़ तहसील के छोटे-छोटे बाँधों से काफ़ी पैदावार होती है। परन्तु साथ-साथ बरसात के बाद मलेरिया का भयंकर प्रकोप होता है। लोग हज़ारों की संख्या में पीड़ित होते हैं। विकास खण्ड के शुरू होने के बाद अब मलेरिया का उतना प्रकोप नहीं होता जितना कि पहले था। विकास खण्ड की ओर से तमाम ग्रामों में ग्राम सेवकों द्वारा काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ बाँटी जाती हैं और मलेरिया की हर सम्भव रोक-थाम की जाती है।

कृषि

यहाँ के लोग ज्यादातर खेती पर ही निर्भर करते हैं। विकास खण्ड खुलने से पहले किसान पुराने औज़ारों से खेती करते थे। परन्तु अब ग्राम सेवकों ने खेती की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया है। विकास अधिकारियों व ग्राम सेवकों द्वारा ग्रामीण जनता में काफ़ी जागृति पैदा की गई है। पहले किसान लोग खाद की विशेष परवाह नहीं करते थे। खण्ड आरम्भ होने के बाद उन्हें खाद का सही उपयोग करना बतलाया गया तथा गोबर की खाद का महत्व भी समझाया गया। गोबर को पहले किसान उपले बना कर जला दिया करते थे।

कृषि की उन्नति के कुछ आँकड़े नीचे दिए जाते हैं—

(१) **खाद के ५,९६९ गड्ढे खोदे गए और २,५३० मन मिश्रित खाद तैयार की गई,**

(२) **३३७ मन २८ सेर उर्वरकों का वितरण किया गया,**

(३) **कुट्टी काटने की ६१२ नई मशीनें वितरित की गईं,**

(४) **४,९६२ मन २४ सेर उन्नतशील बीज बाँटा गया,**

(५) **रासायनिक खाद के २७३ प्रदर्शन किए गए, और**

(६) **उन्नत बीजों के १८१ प्रदर्शन किए गए।**

३१ एकड़ भूमि में फलों की खेती के लिए २,१२० पौधे लगाए गए और २६ एकड़ भूमि में सब्जी की खेती की गई। वृक्षारोपण के लिए ५,७२९ एकड़ भूमि में वृक्ष लगाए गए।

इस प्रकार अब प्रत्येक ग्राम में सुधरे हुए बीजों व रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है। फलों के पेड़ लगाए जा रहे हैं। कई ग्रामों में बगीचे लगाने की योजना भी बनाई जा रही है। सुधरे हुए बीजों का काफी प्रसार किया गया है।

पशु-पालन

यहाँ पर गाय व भैंसें बहुत पाली जाती हैं। भेड़ व बकरी भी पाई जाती हैं। खण्ड शुरू होने से पहले गाय व भैंस की नस्ल खराब होती जा रही थी जिससे दूध का उत्पादन कम होता जा रहा था। नस्ल सुधारने की योजना बनाई गई है। खण्ड की १५ पंचायतों को बढ़िया नस्ल का एक-एक साँड दिया जाएगा। पशुओं की बीमारी की रोक-थाम के लिए ग्राम सेवक गाँव-गाँव में दवाइयाँ बाँटते हैं। आवारा पशुओं को गऊशालाओं में भेजे जाने की योजना बनाई जा रही है। विकास खण्ड के स्टॉक मैन बछड़ों को अखता कर रहे हैं। अब तक १६५ बछड़ों को अखता किया गया है। ३,४६२ पशुओं के टीके भी लगाए जा चुके हैं तथा ३,७२२ पशुओं को बीमारी से बचाया गया है।

सिंचाई

इस क्षेत्र में औसतन २० इंच वर्षा होती है और इसी वर्षा के प्रभाव से यहाँ दो बार फसल बोई जाती है। कुछ सिंचाई कुओं द्वारा भी की जाती है। कुछ हिस्सा बाँध के पानी से भी सींचा जाता है। छोटे-छोटे बाँधों में बरसात के दिनों में काफी पानी भर जाता है। गेहूँ, जौ, सरसों, चना, ज्वार, बाजरा, तिल्ली, दालें आदि इस क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं। विकास खण्ड की ओर से सिंचाई के साधनों की ओर भी ध्यान दिया गया है। सिंचाई के कुओं के लिए तकावी ऋण बाँटा गया। करीब ३५ हज़ार रुपए के तकावी ऋण हाल ही में बाँटे गए। पुराने कुओं का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। अगर छोटे-छोटे बाँधों को सरकार व्यवस्थित कर दे और इनमें से नहरें निकाली जाएँ, तो काफी अनाज पैदा हो सकता है।

स्वास्थ्य व सफ़ाई

गोविन्दगढ़ उपतहसील का जलवायु स्वास्थ्यप्रद है। जल का कष्ट अवश्य है क्योंकि कुछ गाँवों का पानी खारी है। इस लिए उन गाँववालों को दूर से पानी लाना पड़ता है। पीने के पानी के कुओं की समस्या को हल करने के लिए खण्ड की ओर से काफी कार्य किया गया है। विकास क्षेत्र में ४१ नए आदर्श कुएँ तैयार किए गए हैं। २८ पुराने कुओं को आदर्श कुओं में बदला गया है। बहुत से जल-बोर्ड की सहायता से बनवाए गए हैं। इस तरह से गाँव-गाँव में पीने के पानी की समस्या को हल कर लिया गया है। पुराने कुओं का सुधार व नव कूप निर्माण कार्य अब

भी तीव्र गति से चालू हैं जिसके फलस्वरूप कोई गाँव ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर एक स्वास्थ्यप्रद कूप न हो। हर कुएँ पर स्नान-घर होगा, सफ़ाई रहेगी, समय-समय पर ग्राम सेवक दवाईयाँ डालते रहेंगे, हर कुएँ के पास एक फुलवारी होगी जिससे कुएँ का गिरा हुआ पानी गन्दगी न फैलाए। अब तक २८४ कुओं में कीटाणु-नाशक दवाई डाली जा चुकी है। विकास क्षेत्र के तीन औषधालय हरसाना, मौजपुर, बड़ौदामेव में हैं। दो सरकारी अस्पताल गोविन्दगढ़ व लछमनगढ़ में है। अन्य स्थानों पर भी औषधालय खोले जाने की योजना बनाई जा रही है। अभी अक्तूबर में एक स्वास्थ्य पखवाड़ा मनाया गया था जिसमें काफी दवाइयाँ बाँटी गईं। सूखीया रोग के बच्चों का सर्वे कर के उनका उपचार किया गया। ग्राम सेवक व डाक्टर ने हर गाँव का दौरा किया और मरीजों का उपचार किया। हर गाँव में सफ़ाई आन्दोलन चलाया गया। बच्चों की स्वास्थ्य प्रदर्शनी भी की गई। प्रत्येक गाँव के रास्ते साफ़ कराए गए। लोगों को इनाम भी बाँटे गए जिससे उनमें उत्साह पैदा हुआ। ५७ सोख्ते गड्ढे और ४१ पेशाब घर बनाए गए।

शिक्षा व समाज शिक्षा

शिक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। इस विकास खण्ड में २६ प्राइमरी स्कूल, ६ मिडल स्कूल और एक हाई स्कूल है। गोविन्दगढ़ में जनता के सहयोग से एक हाई स्कूल तैयार हो रहा है जो करीब ५-६ माह में पूरा हो जाएगा। अन्य जगहों पर प्राइमरी स्कूलों के भवन बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर ४ कन्या पाठशालाएँ भी चल रही हैं। इन स्कूलों में सिलाई, संगीत, पढ़ाई, व दरी-गलीचे बनाना सिखाया जाता है।

समाज शिक्षा का सम्बन्ध ग्रामीण जीवन के हर पहलू से है। इस क्षेत्र में १०२ विकास मण्डलों की स्थापना की गई। १५ पंचायतें भी इस क्षेत्र में हैं। विकास मण्डलों व पंचायतों द्वारा ही कार्य करने को महत्व दिया जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए २० केन्द्र खोले गए हैं और उनमें ३५० प्रौढ़ शिक्षा पा रहे हैं और २५ मनोरंजन केन्द्र ग्रामीणों के मनोरंजनार्थ स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों में ढोलक, हारमोनियम, तथा चिमटे आदि बाँटे गए हैं। २५ विद्यार्थी संघ स्थापित किए गए हैं। ३ युवक किसान दल बनाए गए तथा १० युवक संघ स्थापित करने की योजना है। जनसाधारण की ज्ञान वृद्धि के लिए यहाँ पर १३ ग्रामीण पुस्तकालय तथा ८ वाचनालय खोले जा चुके हैं। ग्रामीण लोगों के लिए पंचायत घरों में ६ रेडियो केन्द्र स्थापित किए गए। अन्य बहुत से गाँवों में भी रेडियो सेट लगाए जाएँगे। राजस्थान सरकार ने इस काम के लिए २,४०० रेडियो सेट खरीदे हैं। अभी तक ४ शिविर लगाए गए हैं और कई ग्रामीण नेता शिविर भी आयोजित किए गए हैं। २६ जनवरी का समारोह सारे विकास खण्ड में विशेष रूप से मनाया गया और लछमनगढ़ में इसका विशेष आयोजन हुआ। करीब १,५०० व्यक्तियों की उपस्थिति में अनेक प्रकार की झाँकियाँ दिखाई गईं और कुश्ती-दंगल का आयोजन भी हुआ। इसमें अलवर ज़िले के प्रसिद्ध पहलवानों ने भाग लिया। रात्रि में प्रहसन व समाज सुधारक नाटक खेले गए। विकास क्षेत्र में महिलाओं की उन्नति के लिए ६ महिला कल्याण केन्द्र भी स्थापित किए गए जिनमें करीब १०० महिलाएँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। गोविन्दगढ़ में अभी अम्बर चर्खा केन्द्र खोला गया है जिसमें लोग कताई-बुनाई का काम सीख रहे हैं।

ग्राम-ग्राम में साक्षरता आन्दोलन व विकास सम्बन्धी नारे दीवारों पर लगाए जा चुके हैं और अभी कार्य चालू है। इन नारों में जैसे "आप पढ़ कर पड़ोसी को पढ़ाएं" "सफाई से लक्ष्मी आती है," "अच्छा बीज सुखी परिवार, रद्दी बीज दुखी परिवार" इत्यादि नारों से सारे गाँवों में जागृति की लहर पैदा हो गई है। लोगों में रूढ़िवादी भावना का दमन होता जा रहा है। धीरे-धीरे कुछ ही समय में प्रत्येक ग्राम की काया पलट जाएगी। विकास क्षेत्र में योजनाएँ बनाई जा रही हैं जिनमें मुख्य है—खाद के गड्ढे खुदवाने का आन्दोलन, सफ़ाई आन्दोलन, चूहे मार आन्दोलन, मगन चूल्हा आन्दोलन, सार्वजनिक स्थानों की सजावट का आन्दोलन।

यातायात

विकास क्षेत्र में आने-जाने के साधन बहुत ही सीमित हैं। ग्रामीण जनता यातायात के साधन बनाने को काफी उत्सुक है। अभी पिछले पखवाड़े में दो मील लम्बी सड़क खेडली चन्द्रावत के ग्रामवासियों द्वारा तैयार की। जावली की सड़क, जो एक मील लम्बी है, ग्रामवासियों द्वारा ही बनाई गई। गोविन्दगढ़ से नगर जाने वाली १० मील लम्बी सड़क ग्राम वासियों के श्रम का उदाहरण है। विभिन्न ग्रामों में ३०,६२० वर्ग फुट गलियाँ पक्की की गईं। १,१६५ गज़ पक्की नालियाँ और ३१३४ गज़ कच्ची नालियाँ खण्ड की ओर से ग्रामवासियों के सहयोग से तैयार की गईं। खुडियाना ग्रामवालों ने एक मील के करीब पक्की सड़क के लिए श्रमदान से पत्थर डाल दिए हैं और कुछ ही दिनों में यह सड़क पूरी हो सकेगी। कई नालों पर पुलियों का निर्माण किया गया है। गत श्रमदान पखवाड़े में कई गाँवों में सड़कों के छोटे-छोटे टुकड़े सुधारे गए हैं। रास्तों की उबड़-खाबड़ जगह को हमवार किया गया। इस तरह निर्माण कार्य में जनता का सहयोग मिलता रहेगा और कार्य द्रुत गति से चलता रहेगा।

[शेष पृष्ठ २३ पर]

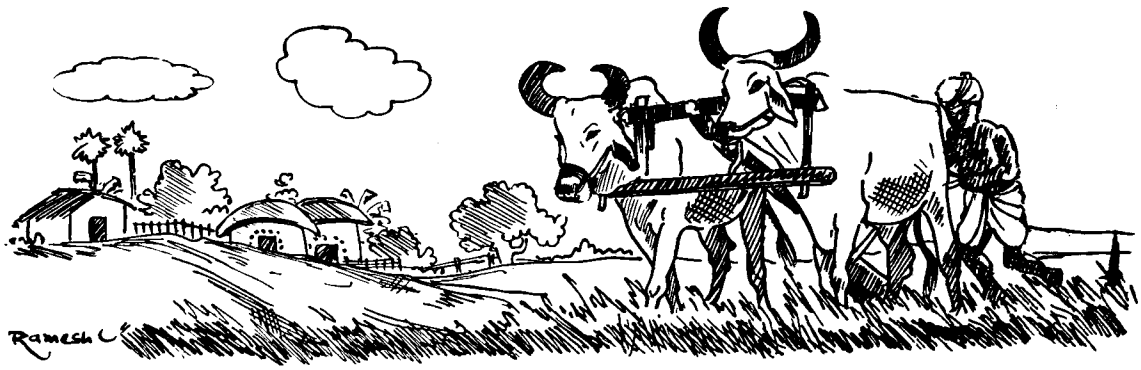

एक भारतीय गाँव में चार वर्ष-२

बी० एल० चौधरी

हमने तीन गाँवों में युवक क्लब स्थापित किए हैं। ये क्लब भजन मण्डलियों के रूप में काम कर रहे हैं। रचनात्मक और सामाजिक काम तुरन्त शुरू नहीं किए जाते। तथापि उन्हें ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। हमने ये काम कई बार निताया में शुरू किए और बन्द किए, पर असल में तो ये काम तभी चल सकते हैं जब केन्द्र में से ही कोई आगे आए। गाँव में नेता हैं, पर वे इस किस्म के काम नहीं चला सकते। नए नेता तैयार किए जा सकते हैं पर ऐसे कामों के लिए सतत प्रयत्न की आवश्यकता है। इस काम में कुछ समय लग सकता है।

गाँववालों के समाज-सेवा कार्यों में रुचि न लेने का एक बड़ा कारण है शिक्षा का अभाव। परन्तु उनको लोकतन्त्र के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है और उन्हें नागरिक के अधिकार तथा समाज के प्रति उनके कर्त्तव्य समझाए जा सकते हैं। हम ऐसा करने के लिए अधिकतम प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी प्रगति धीमी, पर सतत है। यह काम गाँव में सबसे कठिन है। कई बार जब कार्यकर्त्ता यह देखता है कि उसके अनथक प्रयत्नों के बावजूद कोई फल नहीं निकला, तो उसका दिल टूट जाता है। गाँववाले कई चीजें सीखने और समझने में रुचि दिखाते हैं पर पढ़ना-लिखना सीखने की उनकी कतई इच्छा नहीं होती। इसमें उन्हें कोई ठोस फ़ायदा नज़र नहीं आता।

गाँव की दस्तकारियों की शिक्षा

इस इलाके में किसान साल में १५० दिन खाली रहता है। हमने यह सोचा कि अपने खाली समय में वह कोई एक दस्तकारी सीख ले और उसे अपने सहायक धन्धे के रूप में अपना ले। हमने कताई, निवार बुनना और खादी बुनना सिखाना शुरू किया पर गाँववालों ने इनमें से किसी में भी कोई रुचि न दिखाई। पिछले दिनों से तो उन्होंने रस्सी बटना और घरेलू उपयोग के लिए अनाज पीसना भी छोड़ दिया है।

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, तीन युवकों ने केन्द्रों में दर्जीगीरी और बढ़ईगीरी का काम सीखा और अब उसी के सहारे अपनी रोटी कमा रहे हैं।

हम जानते हैं कि गाँव की आर्थिक समस्या तभी हल की जा सकती है जब गाँव में दस्तकारियाँ और उद्योग शुरू किए जाएँ। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि लोग कौन से उद्योग पसन्द करेंगे और फिर वही उद्योग शुरू किए जाने चाहिएँ। कुल मिला कर यहाँ के लोग मेहनती नहीं हैं। उन्हें आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। वे आजाद रह कर काम करने की बजाय खेतिहर मजदूर बन कर वेतन पर काम करना ज्यादा पसन्द करते हैं। जो कुछ थोड़ा-बहुत उनको मिलता है, उसी से वे सन्तुष्ट प्रतीत होते हैं। यह दृष्टिकोण आत्मघाती कहा जा सकता है।

शिविर और बैठकें

अपना काम शुरू करने के समय से ही हम गाँव में विद्यार्थियों के शिविरों और गाँववालों की बैठकों का आयोजन करते रहे हैं। हर साल १५ या २० विद्यार्थी ग्रीष्म शिविर में भाग लेते हैं। शिविर लगाने का हमारा उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थी गाँवों की समस्याओं को समझें और गाँवों के पुनर्निर्माण में सक्रिय योग दें। गाँव के विद्यार्थियों के लिए यह एक नई चीज है तथापि

उसके परिणाम अत्यन्त उत्साहवर्धक निकले हैं। हमें ऐसे विद्यार्थी आन्दोलन की आवश्यकता है जो रचनात्मक हो। हमें इस काम पर अधिक ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने की चेष्टा करनी चाहिए तथा राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों की ओर उनका निर्देशन करना चाहिए। आजकल जो विद्यार्थी शिविर में भाग लेते हैं, उनका भाव यही होता है कि कुछ तो परिवर्तन हो जाएगा और कुछ समय अच्छी तरह कट जाएगा। पर उनकी भावना यह होनी चाहिए कि वे यहाँ समाज सेवा के प्रशिक्षण प्राप्त करने आए हैं।

हमने कई गाँवों में एक दिवसीय बैठकों का आयोजन किया। ये बैठकें गाँव के नेताओं की ओर से बुलाई जाती थीं। बैठक में चाहे हम किसी भी विषय पर विचार शुरू करते, पर ले दे कर लोग हमेशा-सरकार के विरुद्ध शिकायतों, ट्रैक्टरों से खेती करने की, बाकी रकम की अदायगी और इमारती तथा जलाने की लकड़ी की कमी आदि की चर्चा करने लगते। हम बैठकों में निश्चित विषयों पर ही जैसे भू-क्षरण को रोकना, सब्जियाँ उगाना, सहकारिता और पशुओं की देखभाल आदि पर विचार करने का प्रयत्न करते। यद्यपि किसान इनकी आवश्यकता तो समझते हैं, पर कोई बात ऐसी है जिसके कारण वे अपनी जानकारी का उपयोग नहीं कर पाते। तो भी कई जगह हमें अपने काम में सफलता मिली है और अब किसान अपनी समस्याओं के बारे में हमारी सलाह अधिकाधिक लेने लगे हैं। इससे हमें यह आशा होने लगी है कि वे धीमे-धीमे नए तरीके अपना लेंगे।

प्रदर्शनी

हमने नितायां में एक कृषि, पशुपालन और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया। यह प्रदर्शनी बहुत सफल रही। तीन दिन में ही १०,००० से अधिक आदमी इसे देखने आए। प्रदर्शनी में कई भाषण और प्रदर्शन भी किए गए। जनता में उत्साह पैदा करने का यह एक अच्छा तरीका है, पर यह कार्यक्रम इतना सुनियोजित होना चाहिए कि जनता इसकी सिफ़ारिशों को अपना ले। हमारा विचार है कि यदि प्रदर्शनी छोटी हो तथा गाँव ही उसका आयोजन करे तथा उसका खर्च उठाए, तब वह अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। बड़ी प्रदर्शनी मनोरंजन का साधन अधिक होती है और जनता इसमें खुशी मनाने की भावना से ही आती है। उत्तम फसल और सब्जियां उगाने तथा पशुओं की देखभाल से सम्बन्धित प्रदर्शनियाँ बहुत शिक्षाप्रद होती हैं और नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिएँ।

ऐसी प्रदर्शनियों में गाँववाले रुचि लेने लगे हैं।

बीज बैंक

इस गाँव के छोटे किसान पहले पास-पड़ोस के गाँवों से या अच्छे खाते-पीते किसानों से बहुत ऊँचे ब्याज पर बीज उधार ले कर अपना काम चलाते थे। हमने उन लोगों को समझाया कि आप हर साल थोड़ा-बहुत बीज सुरक्षित रख लिया करें। पहले साल इस तरह केवल १५ मन बीज इकट्ठा हुए। इसकी जगह हमने उन्हें बढ़िया किस्म का बीज दे दिया। अब हर साल बीज का स्टाक बढ़ता जा रहा है। आजकल यहाँ १२० मन उन्नत बीज जमा है। अगले साल तक हमारे पास इतना बीज जमा हो जाएगा जो इन छोटे किसानों की माँग से अधिक होगा। बीज बैंक का प्रबन्ध गाँववालों की एक समिति करती है। बैंक का हिसाब-किताब स्कूल के अध्यापक महोदय रखते हैं। अपनी सारी गतिविधियों में हमें इस काम में सबसे अधिक सफलता मिली है। लोग इसमें पूरी रुचि लेते हैं और उत्तम बीज ही लौटाते हैं।

सहकारी दुकान

यह गाँव बाजार से बहुत दूर है। वर्षा के दिनों में तो बाज़ार से इसका सम्बन्ध बिलकुल टूट जाता है। इसलिए हमने गाँव में एक सहकारी दुकान खोलने की योजना बनाई। ७६ रुपए के हिस्से गाँववालों ने खरीदे और 'ऋण योजना' से २०० रुपए ऋण लिया गया। इसका प्रबन्ध स्कूल के अध्यापक महोदय और गाँव के नेताओं में से एक को सौंपा गया। छः महीने तक दुकान का काम ठीक तरह चला। पर इसके बाद कुछ स्वार्थी हिस्सेदारों में असन्तोष फैलने लगा। प्रबन्धकों के विरुद्ध बेईमानी के कुछ इलजाम लगाए गए। इस पर अध्यापक महोदय ने समय देने से इन्कार कर दिया। हमने भी विरोध करने के लिए अलग आदमी रखना नामुनासिब समझा। इस पर हिस्सेदारों ने दुकान बन्द कर दी। दुकान के अवैतनिक विक्रेता ने गाँव में दुकान चलाने का अनुभव प्राप्त कर ही लिया था। अब उसने अपनी एक दुकान खोल ली है जो अच्छी तरह चल रही है। वह किसान है और खाली समय में दुकान खोलता है। दुकान से उसे २० रुपए महीने की आमदनी हो जाती है।

भारत में गाँवों का भविष्य सब क्षेत्रों में सहकारिता के चलन पर ही निर्भर करता है; पर आजकल जो स्थिति है, उसमें सहकारी समितियाँ बिलकुल नहीं पनप सकती। इस जिले की सभी सहकारी समितियाँ असफल रही हैं। हमारा अनुभव है कि सहकारी समितियों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उनके सदस्य स्वेच्छा से सेवा करने को तैयार हों। वे बारी-बारी से दुकान पर विक्रेता के रूप में बैठें और व्यवहार में ईमानदार हों तथा समिति के माल और जायदाद का ध्यान रखें। सहकारी समितियाँ अलग रह कर सफल नहीं हो सकती। वे तो गाँव के पुनर्निर्माण के विशद् कार्यक्रम का एक अंग होनी चाहिए। जनता को सहकारिता के सिद्धान्तों की शिक्षा दी जानी चाहिए और उन्हें इस बात के

लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि धीमे-धीमे वे अपने सारे काम सहकारिता के आधार पर ही करें।

स्वास्थ्य और सफ़ाई

कस्तूरबा स्मारक राष्ट्रीय न्यास के सहयोग से स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया। एक कस्तूरबा ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता केन्द्र में काम करने के लिए भेजी गई। उसका मुख्य काम था प्राथमिक चिकित्सा तथा जच्चा-बच्चा की देखभाल और शिशु कल्याण। यह महिला कार्यकर्त्ता सीधी रसूलिया प्रशासन के अन्तर्गत थी तथा सेवा समिति या सर्वोदय केन्द्र के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इस कारण प्रशासन सम्बन्धी झगड़े शुरू हो गए और अधिक सफलता नहीं मिल सकी। स्वास्थ्य केन्द्र महज एक छोटा-मोटा औषधालय बन गया जहाँ लोगों को दवाएँ सस्ते भाव मिलने लगीं और प्रसाविकाओं की सेवाएँ उपलब्ध होने लगीं। इस कार्यक्रम में, और साफ़ रहने तथा बीमारी रोकने के कार्यक्रम में कोई तालमेल नहीं स्थापित किया गया था। गाँवों में स्वास्थ्य का काम करना बहुत कठिन है। इसके लिए रहन-सहन के परम्परागत तरीकों और भोजन की आदतों को बदलना पड़ेगा। जिन चीज़ों को वे स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद समझते हैं, वे बहुधा अस्वास्थ्यकर होती हैं। उन्हें कीटाणुओं और जीवाणुओं का कुछ पता ही नहीं। ब्राह्मण या अन्य कोई भी ऊँची जात का व्यक्ति यदि कुएँ से पानी खींच दे, तो वह अवश्य ही स्वच्छ होगा। गाँव में गन्दगी है, बीमारी है और रोशनी की कमी है। केवल उचित शिक्षा दे कर ही उन्हें इन शत्रुओं से छुटकारा दिलाया जा सकता है।

गाँव में सफ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं। लोग किसी भी प्रकार का शौचालय पसन्द नहीं करते। खुले में बैठ कर मल त्याग करना वे अधिक अच्छा समझते हैं।। रात को तो घर के पास ही, जहाँ कहीं मर्जी हो, टट्टी-पेशाब कर देते हैं। कुओं पर ही लोग नहाते-धोते हैं। उनके पानी में सब किस्म के कीटाणु मिले होते हैं। क्लोरीन से साफ़ किया हुआ पानी उन्हें पसन्द नहीं आता। पीने से पहले वे उसे उबालते भी नहीं। हमारी सिफ़ारिशों पर वे कोई ध्यान ही नहीं देते। शिक्षित व्यक्ति भी सफ़ाई आदि की व्यवस्था में कोई रुचि नहीं लेते। इन सबका नतीजा यह है कि गाँव में कुकर खाँसी, हैजा और टाइफ़ाइड फैलता रहता है। गाँव के बड़े-बड़े घरों में, जिनमें हवा और रोशनी की उचित व्यवस्था नहीं है, तपेदिक के कई मरीज रहते हैं। इन बीमारियों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि गाँववाले साफ़ रहना सीखें, पुराने मकानों में भी खिड़कियाँ आदि बना कर उनमें धूप और रोशनी आने की व्यवस्था करें। छूत की बीमारियों के मरीजों से अन्य व्यक्तियों और विशेष कर बच्चों को दूर रखें।

उचित और पौष्टिक भोजन न करने के कारण भी कई बीमारियाँ फैली हुई हैं।

दृष्टिकोण में परिवर्तन

ग्राम-कार्यक्रम की सफलता इस बात से आँकी जा सकती है कि गाँववालों के दृष्टिकोण में कहाँ तक परिवर्तन आया है और उन्होंने नई बातों को कहाँ तक अपनाया है। अब तक उनके दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया है, वह केवल इतना ही है कि वे यह मानने लगे हैं कि गाँव की हालत सुधारी जा सकती है। पर अभी वे यह अनुभव नहीं करते कि यह काम वे खुद कर सकते हैं। आजकल तो वे सभी सुविधाओं और सुधारों के लिए सरकार की ओर ही देखते हैं। जिन राजनीतिक दलों के हाथ में सत्ता नहीं है, वे वर्तमान स्थिति से अपना स्वार्थ साध रहे हैं और आजकल की सारी कठिनाइयों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा कर लोगों में असन्तोष का बीज बो रहे हैं। अभी तक लोग यह महसूस नहीं करते कि गाँव के निर्माण के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। गाँववालों के इन कार्यों के प्रति तटस्थ रहने के कारणों की जड़ें बहुत गहरी जमी हुई हैं।

जनता का आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर ऊँचा होने से उनके रहन-सहन के तरीके में विशेष परिवर्तन नहीं आता। यह एक बड़ी विचित्र-सी स्थिति है। यद्यपि यह समस्या आर्थिक या टैकनीकल लगती है तथापि बुनियादी रूप से यह एक सामाजिक तथा धार्मिक समस्या है।

★

[पृष्ठ २० का शेषांश]

सहकारिता

सहकारिता आन्दोलन का कार्य विकास खण्ड के पहले से चल रहा है और विकास खण्ड खुलने के समय तक करीब ३० समितियाँ स्थापित हो चुकी थीं। आजकल ८२ समितियाँ हैं जिनके कुल १,६०४ सदस्य हैं। दो-तीन बड़ी-बड़ी समितियों में प्रत्येक के करीब १२५ सदस्य हैं। सहकारी समितियाँ राज्य सरकार से कर्ज ले कर ग्रामवासियों को दे रही हैं ताकि ग्रामवासियों का जीवन स्तर ऊँचा हो। सहकारिता का पैसा उद्योग धन्धों में सहायता कर रहा।

विकास खण्ड खुलने से विकास चर्चा प्रत्येक घर-घर में गूँज रही है। श्रमदान के समय लोगों में होड़-सी लग जाती है और यह नारा सब जगह सुनाई देता है —**"आराम हराम है।"**

★

मसूरी सम्मेलन की सिफारिशें

: २ :

पंचायतें और स्थानीय स्वायत्त शासन

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में लगभग शुरू से ही पंचायतों पर जोर दिया गया है। दिनोंदिन इनका महत्व और भी बढ़ रहा है। संविधान में भी पंचायतों को संगठित करने का निर्देश है।

सम्मेलन की सिफारिशें संक्षेप से इस प्रकार हैं:—

पंचायतों को अधिकाधिक विकास कार्य सौंपे जाएँ। प्रत्येक राज्य इस बात की चेष्टा करे कि हर गाँव में एक पंचायत हो। पर यदि गाँव छोटे हों तो कुछेक गाँवों को मिला कर एक पंचायत बनाई जा सकती है। सभी पंचायतों में पूरे समय के लिए वैतनिक सेक्रेटरी या एक्जीक्यूटिव अफसर रखे जाएँ ताकि पंचायतें सुचारु रूप से काम करें। ये कर्मचारी राज्य के संवर्ग के सदस्य हों। तथापि शुरू में बड़ी पंचायतों में ही या कई गाँवों के मिला कर ऐसे अफसर रखे जाएँ। राज्य जिला और खण्ड स्तर पर पंचायतों का एक संगठन हो। खण्ड की सभी पंचायतों के लिए एक विस्तार अधिकारी हो। पंचायतों के लिए कुछ न्यूनतम कर्त्तव्य और अधिकार निर्धारित करते हुए उन्हें अतिरिक्त काम तथा जिम्मेदारियाँ सौंपी जा सकती हैं।

पंचायतों को कुछ न्यूनतम स्रोतों से कर उगाहने का अधिकार प्राप्त होगा। पर जिन पंचायतों को अतिरिक्त कार्य और जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएँगी, उन्हें या तो और अधिक धन दिया जाएगा या और अधिक स्रोतों से कर उगाहने की छूट दी जाएगी। पंचायतों को मकान कर और वाहन कर उगाहने का अधिकार मिलना चाहिए। जहाँ पानी और गलियों में रोशनी का प्रबन्ध हो, वहाँ जल कर और रोशनी कर लगाने का भी अधिकार होना चाहिए। राज्य सरकारें पंचायतों को ये स्रोत भी सौंप सकती हैं -

(क) जहाँ लगान का कुछ भाग न मिलता हो, वहाँ लगान पर अधिभार।

(ख) मनोरंजन कर का कुछ भाग।

(ग) स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार।

घ) मछली पकड़ने पर अधिभार।

(ङ) काँजीहौस

(च) नौकानयन

(छ) पंचायती जंगल।

कुछ ऐसे काम जो पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं और आजकल तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत भी आते हैं, इस प्रकार हैं:—

(१) कृषि उत्पादन बढ़ान के कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना।

(२) ऐसे सब कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करना जो गाँवों में बेकारी की समस्या को हल करने में सहायक हों।

(३) गाँवों में जंगल लगाना और चरागाह बनाना।

(४) मिल कर खेती करने में सहयोग देना।

(५) पेड़ लगाना।

(६) सामुदायिक कार्यों के लिए श्रमदान आयोजित करना।

(७) भूक्षरण को रोकने के लिए बेकार पड़ी भूमि में वन लगाना।

(८) खादी और ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देना।

(९) पशुओं की नस्ल सुधारना।

(१०) युवक संगठनों को प्रोत्साहित करना।

(११) बच्चों और महिलाओं के कार्यक्रम कार्यान्वित करना।

(१२) छोटी बचतों द्वारा धन इकठ्ठा करना।

सामुदायिक विकास कार्यों और पंचायतों में निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिए पाँच पंचायतों के सरपंचों को खण्ड सलाहकार समिति में नामजद किया जाए। पंचायतों को अदालती अधिकार सौंपना उचित नहीं। यदि सौंपने ही हों, तो अलग अदालती पंचायतें बनानी पड़ेंगी।

शिक्षा

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम का उद्देश्य गाँव की चहुँमुखी और स्थायी प्रगति करना है। शिक्षा के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है। यद्यपि खण्डों में अभी शिक्षा कार्यों को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। शिक्षा सुधार के लिए एक दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाना चाहिए।

सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:—

समाज शिक्षा संगठकों और स्कूलों के सबडिपुटी इंसपैक्टरों का एक ही समान्य संवर्ग हो और यदि उनकी शिक्षा सेम्बन्धी योग्यता एक समान हो, तो उन्हें तरक्की की एक-सी सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ।

समाज शिक्षा संगठक कम से कम ग्रेजुएट हों तथा समाज सेवा के प्रति उनकी रुचि हो। उनकी तरक्की केवल पंचायत कार्यों में ही न की जाए।

अधिकतम बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं, यह देखना विकास संगठनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि इस काम में समय, शक्ति और सामग्री का कम-से-कम अपव्यय होता है। लड़कियों के स्कूल जाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

विकास कर्मचारियों को स्वयं और सामुदायिक प्रयत्नों से स्कूलों की दशा तथा शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए; दूसरे शब्दों में उन्हें प्राइमरी स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदलना चाहिए तथा पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा करने से इस बात की भी सम्भावना हो सकती है कि अध्यापक का घर और उसके रहन-सहन की हालत सुधारी जा सके। ऐसा होने पर अधिक योग्य शिक्षकों को गाँव के स्कूलों में काम करने के लिए आकर्षण होगा।

गरीब तबकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए कई उपाय अपनाए जा सकते हैं—चन्दा इकट्ठा करके होस्टल खोले जा सकते हैं और गरीब तबकों को पढ़ने में मदद देने के लिए इन होस्टलों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है। देहाती इलाकों में लड़कियों के स्कूल बहुत कम हैं, इसलिए सहशिक्षा वाले स्कूलों की दशा सुधारी जाए ताकि उनमें अधिक लड़कियाँ पढ़ने जाएँ। माता-पिता ऐसे स्कूलों में अपनी लड़कियाँ भेजने को साधारणतया तैयार नहीं होते, जहाँ महिला अध्यापिकाएँ न हों।

समाज शिक्षा

समाज शिक्षा संगठकों के कर्त्तव्यों को संक्षेप से इस प्रकार बताया जा सकता है—१. लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और उन्हें इस बात का भास कराना कि अपनी मदद खुद करके वे अपनी दशा सुधार सकते हैं। २. गाँववालों में अच्छा रहने के प्रति रुचि पैदा करना और खेती, पशुपालन, स्वास्थ्य, घरेलू उद्योगों और घर तथा परिवार के सुधार के प्रति जागरूक करना। ३. पंचायतें, सहकारी समितियाँ, किसान संघ, युवक क्लब और महिला क्लब बना कर गाँववालों को संगठित करना। ४. शिक्षा प्रसार करना। इनके अन्तर्गत गाँववालों को शिक्षा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना और स्कूलों को सामुदायिक विकास की गतिविधियों, साक्षरता आन्दोलन, साक्षरता कक्षाओं और देहाती पुस्तकालयों के लिए अधिक उपयोगी बनाना सम्मिलित है। ५. कला, संस्कृति और मनोरंजन कार्यक्रमों—जैसे लोकनृत्य, कीर्तन, भजन, नुमाइशों और मेलों का आयोजन करना। ६. प्रशिक्षण शिविरों, अध्ययन-यात्राओं और गोष्ठियों द्वारा गाँववालों में से नेता तैयार करना।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खण्डों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम कार्यक्रम की सिफारिश की गई—

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

(क) साक्षरता कार्यक्रम

(१) बीस साक्षरता केन्द्र (२) दस गाँवों में स्थायी पुस्तकालय। (३) २० गतिशील पुस्तकालय। (४) २० गाँवों में खेल के मैदान।

(ख) मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम

(१) दस गाँवों में भजनों, लोकगीतों, कीर्तनों और कथाओं का आयोजन। (२) हर गाँव में भजन मण्डली। (३) प्रत्येक गाँव में व्यायाम-व्यवस्था जैसे १० गाँवों में बालीबाल क्लब, १० गाँवों में अखाड़े आदि। (४) १० गाँवों में खेल के मैदान।

(ग) युवक कल्याण कार्यक्रम

दस गाँवों में क्लबों, किसान क्लबों और अन्य कल्याण गतिविधियों का आयोजन २. हर गाँव में ग्रामरक्षा दल संगठित करना।

(घ) ग्राम नेताओं का प्रशिक्षण

१. ग्राम नेताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना।

२. निम्नलिखित विषयों के बारे में प्रशिक्षण शिविर लगाना।

कृषि, पशुपालन, सिंचाई के छोटे साधन।

ग्रामोद्योग और देहाती मकान।

जन-स्वास्थ्य सफाई शिक्षा और समाज शिक्षा।

सहकारिता, पंचायतें और गाँवों में संचार साधन।

महिलाओं का कार्यक्रम।

ग्राम नेताओं के लिए दो अध्ययन यात्राओं का प्रबन्ध।

(ङ) सामुदायिक केन्द्र

(१) हर आदर्श गाँव में एक पूर्णतः विकसित केन्द्र और दस साधारण केन्द्र खोले जाएँ। (२) दूसरे, गाँवों में कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ गाँववाले मिल कर समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकें।

(च) शिक्षा कार्यक्रम

खण्ड में सामान्य शिक्षा का कार्यक्रम का प्रसार करना। (२) माता-पिता को इस बात के लिए प्रेरित करना कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। (३) समाज शिक्षा और शिक्षा विभाग में निकट सम्पर्क स्थापित करना। (४) हर खण्ड में कम से कम चार विकास मेलों का आयोजन करना।

सामुदायिक विकास खण्डों के लिए

(क) साक्षरता कार्यक्रम

(१) ४० साक्षरता केन्द्र। (२) २० गाँवों में स्थायी पुस्तकालय। (३) २० गतिशील पुस्तकालय। (४) ४० गाँवों में समाचार-पट।

(ग) मनोरंजन और साक्षरता कार्यक्रम

(१) पचास गाँवों में भजनों, लोक गीतों, कीर्तनों और कथाओं का आयोजन। (२) हर गाँव में भजन मण्डली। (३) प्रत्येक गाँव में व्यायाम व्यवस्था, जैसे बीस गाँवों में वालीबाल क्लब, २० गाँवों में अखाड़े आदि। (४) बीस गाँवों में खेल के मैदान।

(ग) युवक कल्याण कार्यक्रम

(१) २५ गाँवों में युवक क्लबों, किसान युवक क्लबों और कल्याण गतिविधियों का आयोजन। (२) हर गाँव में ग्रामरक्षा दल संगठित करना। (३) हर खण्ड में युवक क्लबों के सदस्यों की दो टोलियाँ संगठित करना। (४) युवक क्लबों के सदस्यों की चार पिकनिकें आयोजित करना। (५) दो युवक नेता प्रशिक्षण शिविर लगाना।

(घ) ग्राम नेताओं का प्रशिक्षण

(१) वही जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के लिए लिखा गया है। (२) ग्राम नेताओं की चार अध्ययन यात्राएँ आयोजित करना।

(ङ) रेडियो कार्यक्रम

रेडियो श्रोताओं के समूह बनाना और रेडियो सेटों का वितरण करना (हर दस गाँवों के लिए एक रेडियो सेट वितरण करने की व्यवस्था है।)

(च) सामुदायिक केन्द्र

ग्राम सेवक के क्षेत्र में एक अच्छा सामुदायिक केन्द्र खोलना और शेष बड़े गाँवों में एक साधारण केन्द्र खोलना।

(छ) शिक्षा और समाज शिक्षा

(१) खण्ड में सामान्य शिक्षा कार्यक्रम का प्रसार करना। (२) माता पिता को इस बात के लिए प्रेरित करना कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। (३) समाज शिक्षा और शिक्षा विभाग में निकट सम्पर्क स्थापित करना। (४) विकास मेले—सारे खण्ड के लिए एक बड़ा मेला आयोजित करना और प्रादेशिक मेले लगाना। (५) देहात का एक पाक्षिक या मासिक समाचार पत्र निकालना।

कला और सौन्दर्य

सम्मेलन की सिफ़ारिशें संक्षेप से इस प्रकार हैं—

कला को जनता के जीवन का अंग बनाना चाहिए और राज्य सरकारों के देहाती इलाकों में लोक कला को प्रोत्साहन देना चाहिए। बच्चों और नवसाक्षरों की पुस्तकों में लोककला के चित्र होने चाहिए।

आदर्श घरों की प्रदर्शनी आयोजित करनी चाहिए और लोगों के अपने घर सजाने के लिए दृश्यव्य उपाय अपनाने चाहिएँ। विकास विभागों को इन कार्यों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी जानी चाहिए।

ग्रामदान

विनोबा जी ग्रामदान को ऐसी महान् अहिंसात्मक क्रान्ति मानते हैं जिसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि एक गाँव के सभी किसान त्याग और सहकारिता की भावना से अपनी सारी जमीन दान में दे देते हैं और फिर जितने परिवार के सदस्य हैं, उसके हिसाब से भूमि ले लेते हैं। मनुष्यों का हृदय बदलने से बड़ी क्या और कोई क्रान्ति हो सकती है? उड़ीसा में कोरापुट ज़िले में ग्रामदान में मिले एक गाँव में एक आदमी के पास पहले २४ एकड़ जमीन थी और पुनर्वितरण के समय उसे केवल ३½ एकड़ भूमि मिली है। एक अन्य आदमी के पास पहले जमीन बिलकुल नहीं थी पर बाद में उसे पाँच एकड़ जमीन मिली क्योंकि उसके परिवार में अधिक सदस्य थे। पर सबसे अच्छी बात यह है कि २४ एकड़ वाले ने भी विनोबा जी से ३½ एकड़ जमीन अत्यन्त कृतज्ञतापूर्वक और विनम्रता से ली।

वर्तमान योजना के अनुसार ग्रामदान में भूमि का वितरण परिवार की सदस्य संख्या को देख कर किया जाता है। ग्रामदान में जो भूमि मिलती है, उसका १/१० भाग सहकारी ढंग से सामूहिक खेती करने के लिए रख लिया जाता है। इस भूमि से जो आय होती है, उससे पंचायत के कामकाज, गाँव के स्कूल, मातृत्व सदनों, सफ़ाई, सांस्कृतिक गतिविधियों और गाँव के त्योहारों का खर्च चलाया जाता है। जिनके पास भूमि के छोटे टुकड़े हैं, वे भी सहकारी ढंग पर खेती और फसल की कटाई कर सकते हैं, सिंचाई की सुविधाओं से लाभ उठा सकते हैं और बिक्री व्यवस्था कर सकते हैं।

सम्मेलन ने सिफ़ारिश की कि भूदान और ग्रामदान आन्दोलन को अधिकतम सहयोग और प्रोत्साहन दिया जाए क्योंकि इन आन्दोलनों से वह नैतिक बल और वातावरण पैदा होता है जिससे गाँवों में सामुदायिक कार्यक्रम और अधिक प्रभावकारी ढंग से चलाया जा सकता है।

संचार साधन

सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा-कार्यक्रम में निहित देहाती सड़कों के कार्यक्रम से नागपुर की सड़क योजना को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

सम्मेलन की सिफ़ारिशें संक्षेप से इस प्रकार हैं—

राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों में सड़कों के लिए जितने धन की व्यवस्था की गई है, उसका ५० प्रतिशत जनता द्वारा बनाई गई कच्ची सड़कों पर पुलिया आदि बनाने में व्यय किया जाए। जहाँ पहले से ही कच्ची सड़कें बनी हुई हैं, वहाँ पुलिया आदि बनाने में जो लागत आए, उसका ५० प्रतिशत सामुदायिक विकास खण्ड दें और शेष जनता। छोटी-छोटी पक्की सड़कें जनता द्वारा ५० प्रतिशत लागत चुकाने के आधार पर बनाई जा सकती हैं। पर कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़ी पक्की सड़कें यथा-सम्भव न बनाई जाएँ।

जैसे ही एक सड़क तैयार हो जाए, इसका स्वामित्व और देखरेख का भार पंचायत या अन्य किसी स्थानीय निकाय को सौंप दिया जाए।

[क्रमशः]

★

बड़ा बनाम छोटा—[पृष्ठ ४ का शेषांश]

हमें बड़ी तेज़ी से और होशियारी से आगे बढ़ना है। हमें होशियारी से इसलिए आगे बढ़ना है कि कहीं एक दिक्कत आने पर हम और ज्यादा कठिनाइयों में न फंस जाएँ। यही हमारा सिद्धान्त है।

मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आपके सारे कार्यक्रम उन तकनीकों पर निर्भर करेंगे जिन्हें आप विकसित करें। जाहिर है, आपकी तकनीकें बड़े उद्योगों की तकनीकों से नहीं मिल सकती। पर छोटे उद्योगों की तकनीकें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे और घरेलू उद्योगों के कुछ अपने फायदे भी होते हैं जो बड़े उद्योगों में नहीं होते। आखिर में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। ज्यों ही आप अपना दिमाग बन्द कर लेंगे, आपकी तरक्की रुक जाएगी। हरेक चीज़ सुधर सकती है, यदि सुधरी हुई तकनीकें अपनाई जाएँ और इस बात में कोई शक नहीं, कि अम्बर चरखे में सुधार हो सकता है और इसे सुधारा भी जाएगा। हमारा नज़रिया होना चाहिए—बराबर आगे बढ़ने का और हर समय इसे पहले से अच्छा बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। नए भारत को बनाने के इस महान् कार्य में हम में से कुछ को मौका मिला है घरेलू और ग्रामोद्योगों का काम करने का और उन्हें आगे बढ़ाने का। यह काम बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बोर्ड सहकारी प्रयास है। इसे सबका सहयोग मिला है, न केवल आचार्य विनोबा भावे का और भूदान आन्दोलन में लगे उनके साथियों का बल्कि हमारे सामुदायिक विकास मन्त्रालय का भी।

क्रान्तिकारी कार्यक्रम

मैं सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा को आज भारत की सबसे इन्कलाबी चीज़ मानता हूँ—इन्कलाबी इस रूप में कि ये इन्सानों को बदल रहे हैं। हमने उनको मौका दिया है कि वे अपने आपको बदलें, बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अपने अन्दर नए जीवन का संचार करके। यह आन्दोलन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। मोटे तौर पर भारत में सामुदायिक विकास आन्दोलन और खादी बोर्ड करीब-करीब एक ही समय शुरू हुए। शायद सामुदायिक विकास आन्दोलन कुछ दिन पहले शुरू हुआ। आज से साढ़े चार वर्ष पहले, गान्धी जयन्ती के दिन २ अक्तूबर, १९५२ को यह आन्दोलन शुरू किया गया। आज यह २,२०,००० गाँवों में फैल चुका है, जहाँ १९ करोड़ २० लाख आदमी रहते हैं। भले ही यह कोई बहुत बड़ी बात न हो पर इतनी जानकारी ही जोश बढ़ाने वाली है। मेरा यह मतलब नहीं कि ये २,२०,००० गाँव बहुत आगे बढ़ गए हैं। मैं यह भी नहीं कहता कि ये और गाँवों के बराबर बढ़े हुए हैं। कुछ तो पिछड़े हुए हैं। पर आज जो कुछ भारत में हो रहा है, वह बहुत शानदार बात है। जैसा कि आपको मालूम है, हमने सामुदायिक योजना प्रशासन से कहा है कि वह घरेलू और छोटे उद्योगों पर खास ध्यान दे। जाहिर है कि आपके बोर्ड में और उनमें बहुत नजदीकी ताल्लुकात होने चाहिएँ।

मेरे श्रम ने

रामेश्वरदयाल दुबे

जो भी भूमि पड़ी थी बंजर, जो थी अति ही ऊँची-नीची।
किसने समतल किया इसे है, जल से नहीं स्वेद से सींची?
हरे भरे ये खेत आज हैं, किस मस्ती में हंसते जाने?
कल भर देंगे खलिहानों की राशि-राशि में स्वर्णिम दाने॥

किसने काया पलट भूमि की कर दी? सुन कर प्रश्न हमारा।
आगे बढ़ा,कृषक यों बोला–"मेरे श्रम ने, मेरे श्रम ने"॥

कहर ढाहने वाली नदियाँ रोक के किसने बाँध बनाए?
जहाँ कभी था दलदल, किसने आज वहीं पर महल उठाए?
दुर्गम वन, दुर्लंघ्य शिखर पर किस ने सुखप्रद पन्थ बनाए?
भूमि-गर्भ की अतुल राशि से, किसने साधन सुलभ बनाए?

किसने इतना विभव दिया है जग को? सुन कर प्रश्न सगौरव।
बढ़ मजदूर नम्र हो बोला–"मेरे श्रम ने, मेरे श्रम ने"॥

जिस श्रम ने हैं दिए विश्व को, धन-वैभव-सुख के ये साधन।
उसकी प्राण-प्रतिष्ठा फिर हो, अनुप्राणित होवे जन-जीवन।
बहे कर्म की गंगा सुखप्रद, बने परिश्रम ही जीवन-क्रम।
मन में मृदुता-ममता विहंसे, छलके बूंदों में शरीर-श्रम॥

जब कोई विस्मित हो पूछे–"किसने स्वर्ग उतारा भू पर?"
उत्तर में जन-जन मुखरित हो–"मेरे श्रम ने, मेरे श्रम ने"॥

[योजना से]

अब मैं कितना खुश हूँ––[पृष्ठ ११ का शेषांश]

का आदर करता और युवकों को दोस्त बनाता·····। इसी तरह काम चलता रहा।

मुझे अपने काम में आशातीत सफलता मिली है। मेरे इलाके के गाँव एक तरह से आदर्श गाँव बनते जा रहे हैं। लोग खुश हैं। गाँवों में आपस में होड़ की भावना पैदा हो जाने से हर गाँव के लोगों की कोशिश यही रहती है कि उनका गाँव ही सबसे साफ-सुथरा और अच्छा हो।

मैंने पाँचों गाँवों के मुखियों और खास-खास व्यक्तियों की भी बैठकें बुलाईं। इनमें यह फैसला किया गया कि बीचवाले गाँव में एक पक्की पाठशाला बनाई जाए, गाँवों को मिलाने वाली सड़कें बनाई जाएँ, बीच-बीच में कुएँ खोदे जाएँ, ताकि जाने-आने वालों को पीने के पानी की भी दिक्कत न हो और खेतों की सिंचाई भी होती रहे।

सभी जगह लोग मुझसे बहुत खुश हैं। जहाँ जाता हूँ, वे बड़े प्रेम से मिलते हैं और मुझसे अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करने के अलावा देश-विदेश की खबरें भी सुनते हैं। मेरे प्रयत्न सफल हो रहे हैं और मेरी वर्षों की इच्छा पूरी हो रही है, अब मैं कितना खुश हूँ।

[पृष्ठ १३ का शेषांश]

थे और यह भरी हुई आवाज में बोला—"क्या आप सचमुच मेरी बात बादशाह तक पहुँचा देंगे ?"

"पर आप अपनी समस्या तो मुझे बताइए" मैंने जवाब दिया।

"हाय विजय·····"

आगे उसके मुँह से ठीक से आवाज नहीं निकली। उसने अपने गालों पर बहते हुए आँसू रोकने की निरर्थक चेष्टा की।

यह सब कुछ देख कर मैं चक्कर में पड़ गया और कारण समझने के लिए मैंने जसवन्त की ओर देखा। पर बजाय इसके कि जसवन्त मुझे उसके दुख का कारण बताता, खुद उसकी आँखों से बड़े-बड़े आँसू छलक रहे थे।

"गोविन्द, क्या बात है ?"

"विजय को क्या हुआ है। मुझे बताओ न ? मैं तुम्हारी बात जरूर ही उचित अधिकारियों तक पहुँचा दूँगा। मेरी बात समझ गए न ?"

"जी।"

"विजय अब कहाँ है ?"

"बाबू जी, भूख और जरूरत मेरे लिए बहुत भारी सिद्ध हुई। मैंने विजय को बेच दिया। हे भगवान ! बेचने से पहले ही मैंने उसे ठिकाने से क्यों न लगा दिया·····?"

गोविन्द की आँखों से आँसू बह निकले। मुझे समझ में न आया कि उसे किस तरह तसल्ली दूँ ? निस्सहाय सा खड़ा-खड़ा मैं मन ही मन विजय के रूप-रंग की कल्पना करने लगा। एक-एक कर के कई सुन्दर चेहरे मेरी आँखों के आगे घूम गए ? विजय कौन है – गोविन्द की माँ, पत्नी या लड़की ? अपना शक किस तरह मिटाऊँ ?

गोविन्द ने फिर कहना शुरू किया—"दुष्ट हरिराम ने विजय को सौ टुकड़ों में खरीद लिया। यकीन कीजिए, छः महीने तक एक जून खा कर मैंने १०० रुपए बचाए और वह रुपए ले कर हरिराम से विजय को वापस लेने गया। आप जानते हैं उस सुअर के बच्चे मुझे क्या जबाब दिया। उसने बड़े बेरुखे तरीके से कहा—"सौ रुपए ले कर तुम्हें यह हिम्मत कैसे पड़ी कि तुम विजय को लेने चले आए ? पाँच सौ रुपए से कम पर तो मैं बात ही नहीं करूँगा।" मैंने उसके पाँव पकड़ लिए और विनती करता हुआ बोला–"भगवान तुम्हारा भला करेगा हरिराम ! दया करके विजय मुझे वापस कर दो। क्या तुम विजय की हालत नहीं देख रहे हो।" और आप को पता है उसने क्या जबाब दिया—उस सुअर ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा—"चाचा तुम, बस अपनी फिक्र करो। विजय के लिए क्यों अपना सिर खपाते हो ?"

"बाबू जी, मैं अपना मुँह विजय को नहीं दिखा सका। जैसे ही मैं विजय के पास गया, उसने अपना मुँह फेर लिया। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आँखों में आँसू भरे हुए थे। जब मैं वापस आया तो उसने दयार्द्र दृष्टि से मेरी ओर देखा।"

मैंने उससे कहा—"धीरज रखो, मैं तुम्हें वापस ले जाऊँगा।"

पाँच सौ रुपए ! पाँच सौ रुपए इकट्ठे होने पर ही विजय का छुटकारा हो सकता था। रुपया बचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करने लगा। दो महीने की कड़ी मेहनत के बाद मैं चालीस रुपए और बचा पाया। पर विजय का ख्याल दिन-रात मेरे मन में चक्कर काटता रहता था। इसलिए एक सौ चालीस रुपए ले कर मैं फिर हरिराम के यहाँ गया और बिना किसी सौदेबाजी के पूरे के पूरे १४० रुपए उसके पैरों पर रख दिए। मैंने उससे फिर विनती की—"हरिराम। भगवान ने तुम्हें धन दिया है। यदि तुम इतने ही रुपए ले कर विजय को छोड़ दो तो वह तुम्हें और भी अधिक धन देगा।" पर मेरा सब कहना-सुनना बेकार गया। विजय को छुटकारा नहीं मिला।

इसके बाद मैंने उसके सामने एक और विचार रखा कि मैं तुम्हारे यहाँ ६ महीने मुफ्त काम करूँगा। पर वह बदमाश मेरी यह बात सुन कर हँस भर दिया। मैंने विजय को देखना चाहा पर मैं उसकी गन्ध तक न पा सका। बाबू जी, सच बात तो यह है कि मैं विजय के बिना जिन्दा नहीं रह सकता।

विजय के बारे में मैं और अधिक न सुन सका और मैंने उससे पूछा—"यदि विजय के बारे में तुम्हारी ऐसी भावनाएँ हैं, तो तुमने उसे बेचा क्यों ? तुम्हें तभी इसके नतीजों पर विचार कर लेना चाहिए था।"

"बाबू जी मेरा यकीन करिए। उस समय मेरी जेब में एक पाई भी नहीं थी। मैं उस समय बिलकुल तबाह हो चुका था। मुझे अच्छी तरह पता है कि जिस भगवान ने हमें पैदा किया है वही हमारे लिए खाना भी जुटाएगा। मेरे सामने केवल यही सवाल था कि जय और विजय का पालन-पोषण किस तरह किया

जाए। मेरी हालत उस समय ऐसी नहीं थी कि मैं उनका पेट भी भर सकता। मैंने सौ रुपए में से अपने ऊपर एक पाई भी नहीं खर्ची। सारा का सारा रुपया जय के पालन-पोषण में लगा है। बाबू जी, यदि आप मेरी अपील दिल्ली तक पहुँचा दें तो भगवान आप का भला करेगा।" गोविन्द मेरे पैरों पर लोट गया और जोर-जोर से सिसकियाँ लेने लगा।

वास्तव में उस समय बड़ी अजीब हालत थी। किस तरह इस हालत से छुटकारा पाऊँ और किस तरह उसे तसल्ली दूँ। मैंने कहा—"जय तुम्हारे पास है। अपना सारा ध्यान उसी पर क्यों नहीं लगाते?" मेरी बात का उस पर असर हुआ और उसने दर्द भरी आवाज़ में जवाब दिया—

"न मालूम जय को क्या हो गया है। वह दिनों दिन दुबला होता जाता है। क्यों न आ कर आप जय को एक नजर देख लें? आप शायद इस बात का अन्दाज़ नहीं लगा सकते कि जय और विजय को मुलतान से सही सलामत ले आना कितना कठिन काम था। इन दोनों को लाने के लिए मुझे सब कुछ पीछे छोड़ जाना पड़ा। इस बुढ़ापे में वही दोनों मेरे सहारे हैं।"

उसने फिर दोहराया, "आप एक बार आकर जय को देख क्यों नहीं लेते?"

मैं बहुत देर से यही जानने का इच्छुक था कि जय और विजय कौन हैं। इसलिए ज्यों ही उस वृद्ध व्यक्ति ने मुझे जय को देखने के लिए कहा, मैं उसके साथ हो लिया। अन्दर केवल एक हल पड़ा हुआ था। गोविन्द ने मुझे खींचते हुए एक बैल के सामने ले जा कर खड़ा कर दिया और उस बैल को पुचकारना शुरू कर दिया। फिर मुझे बताया कि यह जय है। आपने विजय को नहीं देखा। वह जय से लम्बा-चौड़ा भी है और सुन्दर भी। उसके सींग सुनहरी हैं। जय और विजय मिल कर पत्थरों से भी सोना पैदा कर सकते हैं।" फिर उसने जय की तरफ मुखातिब हो कर कहा—"जय, चिन्ता न कर। बाबू जी तेरे साथी विजय को वापस ले आएँगे।"

"बाबू जी, देखा आपने, जय आप की ओर कैसे देख रहा था?"

मुझे अपनी खोज से न तो डिप्लोमा मिला और न डिग्री ही। न मुझे उसके लिए कोई अफ़सोस है। पर मुझे पता लग गया है कि भारतवर्ष को कैसे जाना जा सकता है। और यह मेरे लिए ज़रूरत से ज्यादा है।

★

उत्तर प्रदेश में समाज शिक्षा—[पृष्ठ ९ का शेषांश]

युवकों के लिए कार्यक्रम—बहुत से विकास खण्डों में युवक मंगल दलों की स्थापना हुई है जिनका उद्देश्य विकास के कार्यों को सामाजिक बना देना है। दस से बीस वर्ष तक के युवकों के ये संगठन युवकों में निम्न कार्यक्रम के आधार पर कार्य संचालित करते हैं—

१. **शारीरिक विकास**—अखाड़ा, खेल, टूर्नामेण्ट का आयोजन।

२. **बौद्धिक विकास**—कक्षाओं का संचालन, साहित्यिक चर्चा, ज्ञान चर्चा, साहित्य वितरण द्वारा जीवन की शिक्षा का प्रदान।

३. **सांस्कृतिक विकास**—सांस्कृतिक विकास के लिए गोष्ठी, अभिनय, भजन, कीर्तन, नाटक इत्यादि का आयोजन। त्योहार, उत्सव, जयन्ती, मेला तथा प्रदर्शनियों का आयोजन।

४. **औद्योगिक विकास**—खेती तथा ग्रामोद्योग प्रशिक्षण के लिए गाँव में थोड़े-थोड़े समय के शिविर आयोजित करना।

५. **सामाजिक विकास तथा समाज सेवा**—सामाजिक विकास तथा सहयोगी भावना के निर्माण के लिए सार्वजनिक सेवा का साप्ताहिक एवं मासिक कार्यक्रम रखना—जैसे गाँव की सफ़ाई, श्रमदान इत्यादि।

बच्चों के कार्य—बच्चों के लिए गाँवों में खेल के मैदानों का निर्माण, खेल की सामग्री का पहुँचाना, उनके स्वास्थ्य की परीक्षा कराना।

इस प्रकार समाज शिक्षा-कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाए गए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, वाचनालय, पुस्तकालय, सामाजिक मिलन केन्द्र आदि समाज शिक्षा के कार्यक्रमों द्वारा बहुमुखी विकास का जो वातावरण पैदा हुआ है, उसे स्थायी बनाना।

[आकाशवाणी, लखनऊ के सौजन्य से]

प्रगति के पथ पर

खण्ड विकास अधिकारियों की संख्या में वृद्धि

नीलोखेड़ी, हैदराबाद और राँची में खण्ड विकास अधिकारियों को काम सिखाया जाता है। इन केन्द्रों में स्थानों की संख्या बढ़ा कर अब ३० से ५० कर दी गई है। इस तरह का चौथा केन्द्र खोलने का भी प्रस्ताव है। इन केन्द्रों में हर साल पाँच कक्षाएँ चलती हैं।

ट्रेनिंग के लिए अधिकतर वर्त्तमान सरकारी नौकरियों में से ही लोग लिए जाते हैं। इन्हें ८ हफ्ते तक सामुदायिक विकास कार्य के मूल सिद्धान्त समझाए जाते हैं और गाँव के लोगों तथा विकास खण्डों के कार्यकर्त्ताओं के साथ काम करने का ढंग सिखाया जाता है।

आजकल सारे देश में कुल मिला कर १८१४ खण्डों में काम चालू है। पर खण्ड विकास अधिकारियों की संख्या केवल १,४५६ है।

भारत की रेलों और सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के लिए अमेरिकी सहायता

भारत सरकार और अमेरिकी सरकार के बीच २७ अप्रैल, १९५७ को दो करारों पर हस्ताक्षर हुए। एक करार के अनुसार अमेरिका भारत की रेलों के विकास के लिए १ करोड़ ५ लाख डालर और दूसरे के अनुसार सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के लिए २० लाख डालर भारत को देगा।

यह १ करोड़ २५ लाख डालर उस ५ करोड़ ५० लाख डालर की राशि का ही हिस्सा है, जो भारत-अमेरिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत इस व्यापार वर्ष में विकास के कामों के लिए भारत को मिलने वाली है। यह सहायता शिल्प सहायता कोष से अलग है।

दूसरी योजना में पिछड़ी जातियों के लिए ९१ करोड़ रुपए

दूसरी पंचवर्षीय योजना में पिछड़ी जातियों के लोगों के कल्याण के लिए ९१ करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इसमें से ५९ करोड़ रुपए राज्यों की योजनाओं के लिए तथा ३२ करोड़ रुपए केन्द्रीय योजनाओं के लिए हैं।

राज्यों द्वारा विभिन्न श्रेणियों की पिछड़ी जातियों पर अलग-अलग रुपया इस प्रकार खर्च किया जाएगा: अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण क्षेत्रों के विकास पर २९,७२· ७१५ लाख रुपए; अनुसूचित जातियों पर २०,८२· ५०५ लाख रुपए भूतपूर्व अपराधी आदिम जातियों पर २०२· १२ लाख रुपए अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण पर ५८९· ६४ लाख रुपए। इस तरह कुल मिला कर ५८,४६· ९८ लाख रुपए खर्च किए जाएँगे।

फल संरक्षण उद्योग के लिए ५५ लाख रुपए की व्यवस्था

भारत सरकार ने देश में फल संरक्षण-उद्योग के विकास के उद्देश्य से फलों को डिब्बे में बन्द करने वाले २०० छोटे कारखाने खोलने के लिए २० लाख रुपए के ऋण देने का फैसला किया है।

डिब्बे बन्द करने के प्रत्येक केन्द्र को अधिक से अधिक १० हजार रुपए का ऋण दिया जाएगा।

जहाँ फल और तरकारी खूब पैदा होती है, उन क्षेत्रों में जैसे पंजाब में कुल्लू की घाटी, उत्तर-पश्चिम बंगाल और बिहार, मैसूर में कुर्ग, पश्चिम उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के फल-संरक्षण के ५ बड़े केन्द्रों के लिए ३५ लाख रुपए का अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा।

वर्तमान फल संरक्षण कारखाने भी अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए ऋण ले सकते हैं। ये ऋण, दूसरी योजना में फल संरक्षण विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों की मार्फत दिए जाएँगे।

रेशम के कीड़ों के अण्डों का उत्पादन

भारत सरकार ने रेशम के कीड़े पालने को बढ़ावा देने तथा अच्छी नस्ल के कीड़ों के अण्डे उपलब्ध करने के लिए ६ राज्यों को ४ लाख रुपए के अनुदान स्वीकृत किए हैं।

उत्तर प्रदेश को दो रेशम-भण्डार तथा विदेशी कीड़ों के अण्डों का उत्पादन करने वाले तीन केन्द्र खोलने के लिए डेढ़ लाख रुपया दिया गया है। चौकी जाति के अण्डों के उत्पादन के लिए भी इस राज्य को २० हजार रुपए दिए गए हैं।

उड़ीसा को टस्सर तथा एरी जाति के अण्डों के उत्पादन केन्द्र खोलने के लिए ५० हजार रुपए मंजूर किए गए हैं तथा इस काम में लगे ५०० लोगों की सहकारी समितियाँ बनाने के लिए राज्य को ७ हजार रुपए का ऋण दिया गया है।

मैसूर राज्य को चौकी जाति के अण्डों का उत्पादन-केन्द्र खोलने के लिए १० हजार रुपया और इस काम का प्रदर्शन-केन्द्र चलाने के लिए २२ हजार रुपया दिया गया है।

उत्तरी लखीमपुर (असम) में मूगा जाति के अण्डों का उत्पादन-केन्द्र खोलने के लिए २२ हजार रुपया और शहतूत के पत्ते खानेवाली जाति के कीड़े पालने को बढ़ावा देने के लिए ३० हजार रुपए दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश राज्य को इस काम के लिए कुल ३६ हजार रुपए के अनुदान मंजूर किए गए हैं।

१९५६-५७ में ज्वार और बाजरे का अ० भा० प्राक्कलन

१९५६-५७ के अ० भा० प्राक्कलन में ज्वार और बाजरे की खेती का क्षेत्रफल ६,८८,५६,००० एकड़ और उत्पादन १,०३,५३,००० टन आँका गया है। १९५५-५६ में यह क्रमशः ७,०९,२८,००० एकड़ और ९९,८१,००० टन आँका गया था। इस प्रकार पिछले साल की अपेक्षा इस साल क्षेत्रफल में २·९ प्रति शत की कमी पर उत्पादन में ३·७ प्रति शत की वृद्धि हुई।

ज्वार के क्षेत्रफल में कमी मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और बम्बई में हुई। बाजरे के क्षेत्रफल में मुख्यतः बम्बई, पंजाब और राजस्थान में कमी हुई।

ज्वार की खेती के क्षेत्रफल में कमी होने के बावजूद उसका उत्पादन बढ़ा है। यह वृद्धि मुख्यतः बम्बई, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुई। बाजरे का उत्पादन मुख्यतः राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गिरा है।

योजना

गत २६ जनवरी से भारत सरकार "योजना" नाम से हिन्दी में एक पत्रिका प्रकाशित कर रही है। इसका उद्देश्य गाँवों और शहरों, बच्चों और बूढ़ों, लड़कियों और युवतियों में भारत के नव-निर्माण का सन्देश पहुँचाना और साथ ही जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाना है। "आपकी राय" स्तम्भ में जनता की आवाज़ गूंज रही है, भले ही वह लाल फीता और नौकरशाही के विरुद्ध जाए।

देखिए किन शब्दों में प्रतिष्ठित हिन्दी पत्रों ने हिन्दी "योजना" का स्वागत किया है :

साप्ताहिक प्रताप––"सरकारी प्रकाशन होते हुए भी 'योजना' जनसेवा में अपना स्थान बना सकेगी, ऐसी आशा की जाती है।"

अमृत पत्रिका––"इस पाक्षिक पत्र को अब से बहुत पहले ही प्रकाशित कर देना चाहिए था।"

उजाला––"प्रकाशन सराहनीय और विषय की आवश्यकता देखते हुए बहुत संवर्धनीय है।"

संसार––"हम इस कल्याणकारी पत्र की उन्नति की कामना करते हैं और चाहते हैं कि शीघ्र ही इसका प्रकाशन साप्ताहिक रूप में हो। इसमें चित्र भी पर्याप्त रहते हैं और छपाई सफाई सुन्दर।"

अमर ज्योति–"पत्र की वर्तमान सामग्री से उसका भविष्य उज्ज्वल दीखता है। वह जिस उद्देश्य व ध्येय को लेकर चला है वह निस्सन्देह प्रशंसनीय है।"

भारतीय श्रमिक––"कलात्मक चित्रों और कार्टूनों से अंक और भी सम्पूर्ण हो गया है। कुल मिलाकर अंक रेखा और संगीत दोनों ही दृष्टि से बहुत ही सम्पूर्ण है। सम्पादक बधाई स्वीकारें।"

यह भारतीय उन्नति का प्रतीक है। साहित्य और आलोचना भी छपती है।

हमारे लेखकों में **वृन्दावनलाल वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रांगेय राघव, नागार्जुन, सत्यकेतु विद्यालंकार, खुशवन्तसिंह, मन्मथनाथ गुप्त, सत्यदेव विद्यालंकार** आदि हैं। हर अंक में बीसियों चित्र होते हैं।

आज ही ग्राहक बनिए। एक प्रति के दो आने और वार्षिक मूल्य २॥) रु०। अपने पुस्तक-विक्रेता से माँगें या लिखें :—

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली–८

बालोपयोगी रोचक साहित्य

	मूल्य	डाक-व्यय
जातक कथाएँ—भाग-१	०·७५	०·२५
भाग–२	१·००	०·२५
सरल पंचतन्त्र—भाग–३	०·३५	०·१२
भाग–४	०·३५	०·१२
भाग–५	०·३५	०·१२
गौतम बुद्ध	०·०५	०·०६
प्रयाग दर्शन	०·२५	०·१२
भारत की कहानी	०·७५	०·१६
जवाहरलाल नेहरू के भाषण		
भाग–३, ५, ६,	०·०५ प्रत्येक	०·०६ प्रत्येक
आदर्श विद्यार्थी बापू	०·३५	०·१२
नये सिक्के	०·२५	०·१२
सरल पंचवर्षीय योजना	०·५०	०·१२
हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना	०·३५	०·१२
मनोरंजक कहानियाँ	१·००	०·२५
भारतीय वास्तु-कला के ५००० वर्ष	२·००	०·३०
भारत के बौद्ध-तीर्थ	२·००	०·३०

दस रुपये या इससे अधिक के आर्डर पर डाक-व्यय नहीं लिया जायगा।
पोस्टल आर्डर द्वारा रुपया प्राप्त होने पर सुविधा रहती है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं से प्राप्य अथवा सीधा लिखें—

बिज़िनेस मैनेजर

पब्लिकेशन्स डिवीज़न

ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली–८

Printed at the Albion Press, Kashmere Gate, Delhi 6, and Published on behalf of Ministry of Community Development by the Publications Division, Delhi—8